Seventeenth Loksabha

an>

15.01 hrs

Title: Regarding Motion for Consideration of Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022 (Motion adopted and Bill Passed).

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं बाद में बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022, पांच राज्यों का संशोधन बिल आया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।

15.02 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार, विभिन्न राज्यों के संबंध में अनुसूचति जनजाति पहली सूची को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 द्वारा 6 दिसंबर, 1950 को अधिसूचित किया गया।

महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सरकार व माननीय मुख्य मंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 11.02.2022 को प्रधान मंत्री जी को पत्र के माध्यम से इन जातियों को एसटी में शामिल करने का निवेदन किया था। छत्तीसगढ़ सरकार बीच-बीच में केंद्र सरकार को, जनजाति मंत्रालय को और प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की जातियों को इसमें शामिल करने के लिए हमेशा निवेदन करती रही। आज बड़े अर्से के बाद, बहुत दिनों के बाद आज यह शामिल हुआ, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, वर्ष 2011 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 78 से 80 लाख के लगभग आदिवासियों की जनसंख्या है। इन 12 जातियों को शामिल करने से 1 लाख से अधिक समुदाय को, वहां के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अब 12 जातियों को सूची में शामिल करने के बाद 42 जनजातियां इसमें शामिल हो गई हैं।

इन जनजातियों की मांग पिछले कई सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित थीं। वहां के लोगों की लगातार इसके लिए मांग थी। वहां के लोग लगातार आरक्षण के लिए मांग करते रहे। सरकार इसे बड़े लंबे समय के बाद लाई, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का बड़ा मसला चल रहा है। वर्ष 2012 की पूर्ववर्ती सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। पूर्व सरकार ने इस संबंध में दो कमेटीज़ बनाई थीं।

मंत्रियों की एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी। सरकार ने फिर दूसरी कमेटी गठित की, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार ने आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, दमदार तरीके से नहीं रखा, अपना पक्ष मजबूत नहीं रखा। आज इसी कारण से छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। 19 सितम्बर, 2022 को निर्णय आया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासियों को 32 परसेंट मिलने वाला आरक्षण अब 20 परसेंट हो गया। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उबाल आया, इससे लोगों में आक्रोश है, वहां की जनता में आक्रोश है, धरना हुआ और चक्का जाम हुआ।

चेयरमैन सर, हम लोगों ने सरकार के साथ लगातार मीटिंग की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग की, माननीय राज्यपाल के पास कई समुदायों के लोग गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 और 2 दिसम्बर को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का काम किया और आरक्षण बिल पेश किया। उस पर बृहत चर्चा के बाद वह आरक्षण बिल पास हुआ। उस आरक्षण बिल में आदिवासियों को 32 परसेंट आरक्षण देने का निर्णय पास हुआ। ओबीसी को 27 परसेंट, एससी को 13 परसेंट और जनरल को 4 परसेंट देने का बिल पास हुआ।

चेयरमैन सर, इसी आरक्षण के संबंध में शासकीय संकल्प भी पास हुआ, लेकिन इसे राज्य सरकार ने पास किया, विधान सभा में पास हुआ, बहुमत के साथ पास हुआ, बड़ी चर्चा के बाद पास हुआ और राज्यपाल जी के पास स्वीकृति के लिए राजभवन गया, माननीय राज्यपाल महोदय कहते थे कि आप विधान सभा बुला लें और बिल पास कर दें तो मैं तुरंत हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। हमारी सरकार ने विधान सभा का सत्र बुलाकर बिल पास किया और बिल राजभवन गया, लेकिन आज तक आरक्षण बिल राजभवन में लटका हुआ है। आज तक माननीय राज्यपाल जी ने इस पर दस्तख्त तक नहीं किये हैं। चेयरमैन सर, इससे लगातार आदिवासियों में आक्रोश है, वहां के लोगों में आक्रोश हो रहा है, वहां की जनता आक्रोशित हो रही है कि हमारा आरक्षण बिल लटक गया है। हमारा आरक्षण बिल विधान सभा में पास होने के बाद भी राजभवन से पास नहीं हो रहा है, इसके चलते लोगों में लगातार आक्रोश हो रहा है।

राज्यपाल महोदय इसका बहाना ढूंढने ...* का काम कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल महोदय खुद आदिवासी हैं, उनको तो इस बिल पर रातों रात दस्तख्त करने चाहिए थे, लेकिन वह सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक आदिवासी राज्यपाल और एक आदिवासी राज्य होने के बाद भी आदिवासी लोगों को आरक्षण देने के लिए सोच रहे हैं, यह कहां का न्याय है?

चेयमरैन साहब, हमारे राज्यपाल और हमारा राजभवन एक राजनीति का ...* बन गया है। वहां राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल किसके दबाव में हैं, क्या वह केन्द्र सरकार के दबाव में हैं, क्या वह प्रधानमंत्री के दबाव में है, क्या वह गृह मंत्रालय के दबाव में हैं, वह किसके दबाव में हैं? आरक्षण का मामला निश्चित रूप से गंभीर मसला है। इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय चेयरमैन सर, यह निश्चित रूप से गंभीर मसला है, इस पर निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे आरक्षण मसले पर मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह छत्तीसगढ़ सरकार की मदद करे। आपने आरक्षण निश्चित रूप से दिया, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पांच राज्यों के समुदायों को भी आरक्षण दिया। आरक्षण तो ठीक है, लेकिन केन्द्र सरकार सभी सरकारी उपक्रमों को, जहां हमको फायदा होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, जहां हम नौकरी मांग रहे हैं, जिस सेक्टर में हमको नौकरी करनी है, आज उस सेक्टर की केन्द्र सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइज कर रही है। मैं बस्तर की बात करूं, बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट में आदिवासियों का हक है, वहां के लोगों का हक है, बस्तर के लोगों का हक है, आज सरकार उसको भी प्राइवेटाइज कर रही है। अगर वहां प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण देने के बाद हम नौकरी करने कहां जाएंगे, किससे नौकरी मांगेंगे, हमारे आदिवासी नौकरी करने कहां जाएंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाह रहे हैं।

इधर आरक्षण दे रहे हैं, इधर दो नीतियां नहीं चलेंगी, आरक्षण दीजिए, हमारा यह अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, आरक्षण हमारा हक है, यह हक सरकार दे रही है। जहां सरकारी सैक्टर है, आप सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कर रहे हैं, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सरकारी सैक्टर के उपक्रमों को प्राइवेट करके आरक्षण को समाप्त करने की कगार पर हैं। आप आदिवासियों को आरक्षण नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, क्या प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण के लिए कोई मापदंड तय करेंगे? आप सरकारी उपक्रम को प्राइवेट कर रहे हैं, क्या वहां आरक्षण लागू होगा? क्या इसके लिए सरकार बिल लाएगी? क्या इसके लिए सरकार विधेयक लाएगी? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि बिल लाए, ताकि प्राइवेट सैक्टर में हमारे लोगों को, आदिवासी लोगों को, ओबीसी वर्ग को फायदा मिल सके। उपक्रमों को प्राइवेट करने के बाद लाभ नहीं मिल रहा है। महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों का जीवनस्तर उठाने के लिए बेहतर काम किया है। एक समय में हमने देखा कि बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में सात प्रकार के माइनर प्रोडक्ट खरीदे जाते थे, अब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 65 प्रकार की वन उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रहे हैं, सरकार खरीदी कर रही है।

तेंदू पत्ते का रेट, सरकार 2500 से 4000 प्रति किलोग्राम दे रही है ताकि वहां के आदिवासियों की स्थिति मजबूत कर सके। हमारी सरकार ने महुआ का रेट बढ़ाया, टोरा का रेट बढ़ाया। जहां पिछली सरकारों के समय में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर पैदा होने वाले प्रोडक्ट सड़कों पर फेंके जाते थे, कौड़ियों के भाव बेचे जाते थे, उन आदिवासियों के माइनर प्रोडक्ट खरीदने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। चाहे इमली हो, मउआ हो, टोरा हो या तेंदू पत्ता हो, सरकार पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य देने का काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारी कुछ मांगें हैं कि इस आदिवासी बिल में, जिस तरह से बस्तर की महरा जाति है, वर्षों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और सरकार से मांग करते रहते हैं कि महरा जाति को मेहरा, माहर, मेहर अनुसूचित जाति के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, उस समय महरा जाति को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया था। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद महरा जाति को वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं किया गया।

मैं अपनी मांग के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज उस जाति को आरजेआई ने पास किया और उसके बाद एससी आयोग ने पास किया और फिर यह न्याय मंत्री के पास चला गया। मैं निवेदन करता हूं कि बस्तर की महरा और माहरा जाति को एससी में शामिल किया जाए। इसी तरह से दूसरी और जातियां हैं, जैसे अमनित जाति है, ये लोग बस्तर में निवास करते हैं। अमनित जाति एसटी में शामिल होने के लिए मांग कर रही है, इसे भी क्रमांक 6 में शामिल किया जाए।

पूरे देश में दो आदिवासी केंद्रीय विद्यालय हैं। बस्तर में जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जाए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे और नौवीं सूची में शामिल करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, I want to ask a question. Why was the Maharaja of Bastar killed by the Government forces? We want a reply. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can send a representation through your party and we will give you time.

… (*Interruptions*)

श्री अरुण साव (बिलासपुर): सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के उन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के द्वारा देश के सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत किया गया है। आज वे 12 जनजाति के लोग देश के लोकतंत्र के सबसे मंदिर की ओर निहार रहे हैं और टकटकी लगाकर देख रहे हैं तथा नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्षों तक देश और प्रदेश में, जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का केवल शोषण किया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ को भुखमरी में, अशिक्षा में और विकास से कोसों दूर रखने का काम किया। यदि आज छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान मिली है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कारण मिली है। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, सीधे-सादे, भोले-भाले, सरल और ईमानदार लोगों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा है। वहां पर अरपा और पायरी जैसी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं तथा कोयले से लेकर हीरे तक की खदान हैं। छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा रही है, लेकिन कांग्रेस की उपेक्षा के कारण छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ था। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि बस्तर और सरगुजा की खूबसूरती देखते ही बनती है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पौराणिक काल से ही अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। इसीलिए, दुनिया कहती है कि 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया'।

सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी समाज का इतिहास भी अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और शहीद गेंद सिंह नायक जैसे युवाओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों की आहूति भी दी। अपनी कला-संस्कृति और प्रतिभा के दम पर देश और दुनिया में हमारे आदिवासी समाज के बंधुओं ने पूरा नाम कमाया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 12 समुदाय हैं, ये 25-30 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन, आज जो अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वे कान में रूई डालकर सोए हुए थे। आज उनकी बात को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को यदि किसी ने सुना है तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। आज इस समुदाय के लाखों लोग नरेन्द्र मोदी जी को बधाइयां और धन्यवाद दे रहे हैं। इस समुदाय के लोग बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा गरियाबंद, महासमुन्द, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव आदि जिलों में भी निवास करते हैं। आदिवासी समाज के उत्थान का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है।

आदिम जाति कल्याण विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय को अलग करके, उसके बजट को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान का काम किया है। 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' बनाकर आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्राइफेड के माध्यम से उनकी प्रतिभा को संवारने का काम कर रही है। नरेन्द्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया है।

अगर किसी ने आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार आदिवासी समाज की एक बेटी को संविधान के सर्वोच्च पद पर प्रतिस्थापित करके आदिवासी समाज का मान-सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य में 15 सालों तक हमारी सरकार थी, हमने बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए एक अलग विकास प्राधिकरण का गठन किया था। एक अलग विकास प्राधिकरण का गठन करके इन क्षेत्रों में पुल-पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल, कॉलेज, महाविद्यालय इत्यादि।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Deepakji, you have already made your point. Please take your seat.

श्री अरुण साव : महोदय, हमने सरगुजा और बस्तर के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक अलग प्राधिकरण की स्थापना की थी। हमने स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेज़ बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, पुल-पुलिया, सड़कों का जाल फैलाकर बस्तर और सरगुजा को विकास की मुख्य धारा में लेकर आए हैं।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनजातीय समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा उपलब्ध हो, हमने इसके लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया है। वे प्रतियोगी परिक्षाओं में आगे बढें, उनको अवसर मिलें, आसमान की ऊंचाइयों पर उडें, इसीलिए उनके निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। चाहे वह 'प्रयास योजना' के नाम पर हो, 'उत्कर्ष योजना' के नाम पर हो, यूथ हॉस्टल के नाम पर हो, 'छूलो आसमान योजना' के नाम पर हो। मैं इन योजनाओं को माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के बच्चों ने बड़ी सफलता हासिल की है और उसका बड़ा असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है।

महोदय, हमने बस्तर और सरगुजा में न केवल एक-एक विश्वविद्यालय बनाए हैं, बल्कि हमने दोनों जगहों पर एक-एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया है। ये हमारा काम है। हमने लाइवलीहुड कॉलेज बनाया है, ताकि आदिवासी समाज के बच्चे पढ़कर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार की दिशा में काम कर सकें।

सभापति महोदय, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने दंतेश्वरी मईया के धाम दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी का निर्माण किया है। वहां 7,500 बच्चों के पढ़ने का इंतजाम भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केपीएमजी ने वर्ष 2012 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ योजनाओं-परियोजानाओं में हमारी एजुकेशन सिटी को स्थान दिया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आपसे

कहना चाहता हूं कि इंद्रावती नदी में कई पुलों का निर्माण किया गया है, ताकि बस्तर के लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि त्रिवेणी नदी पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। वहां पर रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए हमने ब्रिज का निर्माण किया है और बस्तर को महाराष्ट्र से सीधे जोड़ने का काम किया है। आज हमने एक अच्छा पीडीएस सिस्टम बनाकर घर-घर तक राशन पहुंचाकर बच्चों के खाने का इंतजाम किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हमारे भाई-बहनों के पैरों में कांटा न गढ़े, उसके लिए हम 'चरण पादुका' योजना लेकर आए हैं और उनको हमने चरण पादुका उपलब्ध करवाने का काम किया है।… (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं गर्व से यह बात कहता हूँ कि मैं खुद भी आदरणीय केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी के साथ नारायणपुर गया था। हमने नारायणपुर में मलखंब की अकेडमी प्रारम्भ की है। उस मलखंब खेल के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने अपनी आँखों से उनकी कलाकारी देखी है।

डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी ने भी देखी है। हमने बच्चों को बड़े-बड़े खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं तथा उनको आगे बढ़ाने का काम किया है।… (व्यवधान) मेरे भाई, आज कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं अपनी आँखों से देखकर आया हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. DNV Senthilkumar.

… (*Interruptions*)

श्री अरूण साव : हमने जो संस्थान बनाए हैं, उनमें ये आज झाडू नहीं लगा पा रहे हैं, झाडू नहीं लगा पा रहे हैं।… (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस विधेयक के पास होने से लाखों जनजाति भाई-बहनों को न्याय मिलेगा। उनके सपने साकार हो सकेंगे। प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को, माननीय अर्जुन मुंडा जी को, रेणुका सिंह जी को इन लाखों परिवारों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज न्याय देकर यह बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और मोदी है तो मुमकिन है। यह आज उन्होंने बता दिया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं आप सभी से समर्थन की अपेक्षा करता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस।

… (व्यवधान)

श्री अरूण साव : सभापति महोदय, मुझे डिस्टर्ब किया गया है। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।… (व्यवधान) उन्होंने जो राजनीतिक बात कही है, एक आदिवासी बेटी को आज… (व्यवधान)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing of whatever he speaks is going on record.

… (*Interruptions*) …*

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Dr. DNV Senthilkumar will go on record.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अरूण जी, आप बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो चुका है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your time is up. Please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now nothing is going on record.

… (*Interruptions*) …*

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Dr. Senthilkumar is going on record.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Deepak Ji, please take your seat.

… (*Interruptions*)

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Chairperson. Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Bill.

At the outset, I would like to welcome this Bill. … (*Interruptions*) As the Minister of Tribal Affairs is here, there is a long-standing demand from the State of Tamil Nadu that certain more communities should be included in the Scheduled Tribes List. … (*Interruptions*) Sir, I take this opportunity to represent the Kuruman Tribes who are dwelling throughout the State of Tamil Nadu, especially in my Constituency, Dharmapuri and its adjoining places like, Villupuram, Kallakurichi, North Arcot. There are many people from this community. They have a different traditional culture and custom.

Even if the Kuruman Tribes are called by its several synonym names such as Kuruma, Kuruman, Kurumba, Kurumba Gounder, Kurumban, Kurumbar, etc., depending upon the place, language and pronunciation, all are one and the same, that is, the Kuruman Tribal community or the Kuruman Scheduled Tribes. The synonyms and other names have been accepted by the Tribal Research Centre, Ooty. The Director's Reports for the years 2001 and 2002 also stress that. Various anthropological study reports confirm that. The Division Bench of the hon. Madras High Court in its Contempt Petition verdict, after examining the documents or evidences thoroughly, made the recommendation for inclusion of the Kuruman ST synonym names in the ST List.

The State Human Rights Commission also directed both the Central and the State Governments to include Kurumans ST synonym names in the ST List. Like that, the Petition Committee of the Tamil Nadu Assembly also made recommendation for that. The first comprehensive and comparative study done by the Regional Head of the Department, Department of Tribal Studies, Dr. K. M. Meitry, submitted his Report to all the Constitutional authorities on 3.12.2021. Obviously, it also revealed and satisfied that all the synonym names are one and the same, that is, the Kuruman tribal community with its Kuruman ST synonyms.

Moreover, I introduced a Private Member Bill, No. 29 of 2022, dated 22.11.2021, in this Parliament for the implementation of the court's order to include all synonym names of Kurumans in the ST List.

Kurumans was in the Depressed Class list in 1931. In 1936 it was included in the S.C List, and it was in the Backward Tribes List in 1955. In 1950, the common and generic name of this tribe Kurumans (plural in English) was included in the ST List without knowing the intention of legislation which was framed by the State and the Central Government arbitrarily, which classified them in the MBC/ OBC List.

This is a mistake of the Government and not that of the tribal people. Now I understand that the RGT has ignored all the document evidences, flouted the Court order, and agreed for inclusion of Kuruman alone along with Kurumans. This is unethical, unconstitutional, flouting and insulting of the hon. High Court's division bench's order on contempt petition. Law makers should not be law breakers. Therefore, the hon. High Court order and recommendation of the Tamil Nadu Government, and TRC Director's reports should be accepted and respected, and a swift action for inclusion of Kurumans in the ST List be taken.

Or, as suggested and accepted by the RGI vide communication no. 44019/2016/ Mota, the Kurumans synonyms may be included in the ST List along with Kurumans and Kurubars at the earliest, and set right the anomaly due to which they are deprived of social justice for many decades.

Sir, since they have been affected for many years, and have been denied their reservation in education and jobs, I urge upon the hon. Minister to take immediate action and include all the names in the ST list.

Sir, there is also another community which is called the Lambadi community which is there in many other States like Karnataka and Andhra Pradesh. That community is also having a huge population in areas like Mettur, Kolathur and Harur of my constituency, Dharmapuri. They are classified in some other States. But when it comes to Tamil Nadu, they are not in the ST List. So, I would urge upon the hon. Minister to include the Lambadi community in the ST List so that they are no more deprived of social welfare and justice. Thank you, Sir.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022. Though it took many years for the Government to come up with the Bill, it is a welcome step.

Sir, those who say that reservation has adequately covered all the vulnerable communities, I would like to remind that no reservation or schemes are in place unless the issues of the marginalized communities in disadvantaged regions are comprehensively addressed. Reservation in schools and colleges do not fit on the page when the people from such communities are unnourished and have to travel a far long distance without proper roads.

According to a report of the Basic Road Statistics of India, only 63.24 per cent of the total road length is paved in India, and only 30.04 per cent share of roads that runs through reserved forest areas is even surfaced. While only some areas are connected, the condition of those roads too is pathetic. Being a hilly terrain, flash floods badly damage existing roads, making travel a difficult proposition. Still in many regions, goods reach the tribal villages through cable transport lines.

The communities also lack access to education and healthcare facilities. India is home to about one-third, that is, 104 million tribal people, of the global tribal and indigenous population, out of which 42 per cent of children are reported to be underweight.

In addition to this, the healthcare system and the number of specialists posted in tribal areas are worse than scarce. Most of us have not forgotten the incidents where sick patients in tribal areas are transported in improvised *dolis* to the closest public health centres.

Sir, in the Bill we are speaking for inclusion of tribes residing in Chhattisgarh tribal belt. We have seen that the tribal people in Chhattisgarh use bike ambulances to reach to public health centres. I would suggest the hon. Minster that this type of motorcycle ambulances should be provided to every tribal region where there is no way to reach to the hospitals from their habitations. Most of these are hilly areas where there are very narrow roads, and four wheelers cannot reach. So, bike ambulances should be provided in those areas.

Sir, the digital divide is a great issue in the tribal areas where children are missing out on school and the larger technological revolution. Today we are talking about Digital India, but in tribal areas, people, students and the local youth are far away from internet connectivity.

Despite the increasing number of sportspersons from tribal communities and their winning medals in India, it has failed to open the eyes of the Central Government and also the local Governments. The sports infrastructure facilities established in the tribal areas are negligible besides the fact that their higher physical stamina could give a boost to the medal tally in sports events also. Therefore, if this type of an amendment is being made to the Constitution, we should also try to change their way of livelihood, provide them good quality hospitals, schools, sanitation, and safe drinking water. We have to provide these facilities to these tribal people whom we are including in the list. Simply including them in the Tribal List will not work. In Chhattisgarh, there is a demand for many years to include Mahara or Mahar in SC List and Amnit in ST List. This demand has been pending for a long time. This should be taken care of because already in Part IV C of Madhya Pradesh Government Gazette of December, 1958, Mahara is included. So, it should be taken care of.

There is a need to conduct socio-economic caste census so that we have specific data on various castes. Why has this caste census not been done till date? The Minister should reply to the House on this point. Census data of various castes is essential for proper planning for developing welfare schemes for them so that those castes or communities can benefit from them.

If we simply bring a Bill to include them in the list, it does not help them. We know that when we feel cold, we wear a sweater or a shawl. It means that those things should already be there in our house to protect us from cold. That is why, I feel that a caste census should be done.

Sir, allocation for employment generation for ST in the Union Budget for 2022-23 has been reduced from Rs. 89.5 crore last year to Rs. 11.3 crore this year. So, there has been a cut of 87 per cent. According to the Dalit Arthik Adhikar Andolan, there is an allocation gap of Rs. 40,634 crore for the SC and Rs. 9,399 crore for the ST. This should be taken care of.

Sir, West Bengal Government under the leadership of Mamata Banerjee has started many welfare schemes. There is a pension scheme for the elderly persons.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Sir, I am the only speaker from my party. I request you to give me five minutes.

Many welfare schemes have been started by our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee. We have Jai Johar Scheme under which pension is being provided to the elderly persons of all the SC/ST communities so that the elderly vulnerable persons of these communities can be taken care of.

I wish to make another request and give a suggestion. West Bengal Government conducts 'Duare Sarkar' which has been appreciated by the Central Government. Such a scheme should be launched in the SC-concentrated areas so that people, who are not able to come to the office of BDO or SDO, can get the benefit of the schemes run by the Government. So, this should be done.

Sir, malnutrition among the STs is the most sensitive and a very worrying part. Due to malnutrition, we have seen anaemic patients and also the patients who have even lost their eye-sight. According to the present day prices of food items, about Rs. 130 per person per day are required. For a family of five, it comes to Rs. 650 per day and Rs. 19,500 per month. They cannot meet this expenditure.

There should be an expert committee for the Adivasi *parivar* and for the ST families so that they can get a good one-day meal for them.

The last point which I would like to make is this. The National Crime Records Bureau data shows that the atrocities against the STs have increased by 6.4 per cent in 2021. In Uttar Pradesh, the highest number of cases were recorded. Around 13,164 cases of atrocities against SCs were recorded. Violence against the Dalits and Adivasi women has also risen. We have seen the number of increasing rape cases with regard to SC/ST women. The rape cases against SC women account for 7.6 per cent and rape cases against ST women account for 15 per cent out of the total cases.

We have seen in Madhya Pradesh and Rajasthan how Kartik Bhil, Dhanpat, Sampat Lal, and Viraj were murdered. So, we seek justice for these Adivasi people and ST people who have lost their lives due to the Government's failure. Through the Bills which we are passing over here, justice should be given to them.

Thank you, Sir.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on behalf of YSRCP on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022 with respect to its application to Chhattisgarh.

*Sir, I would like to speak in Telugu with your kind permission.

I thank the hon. Chief Minister Shri Y S Jagan Mohan Reddy and the people of Kurnool for sending an ordinary person like me to the Parliament. I am here to express the views of YSR Congress party on this bill. We support the bill sir. While taking steps to achieve equality and social justice in the society, Jagan Anna reserved place in the hearts of poor and backward classes. He is being hailed as the torch bearer of backward classes, social reformer, trendsetter and a popular leader throughout the country. Our party's fundamental principle is social justice therefore we fully support this bill.

If we look at the provisions of this Bill, we can understand that this amendment Bill has been brought as per the recommendations of the Government of Chhattisgarh and after consulting Registrar General of India and National Commission for Scheduled Tribes. Amendments have been made to the Constitution Scheduled Tribes Order Act of 1950. Some more tribes are being added and equivalent names of some other tribes are being provided in this amendment Bill. We believe that the scientific process has been followed and consultations with the concerned stakeholders have been held before bringing this bill to the Parliament. Therefore, we fully support this amendment Bill.

Students have to waste their valuable time to get a caste certificate from the Government offices. I hope this amendment Bill will address such issues of the students. We also hope that this amendment bill will improve the situation of these backward tribes. I would like to use this opportunity to give some suggestions to the Union Government. I will mention unresolved issues of weaker sections, especially of schedule tribes of our society for so many decades. Due to spelling mistakes in the names of castes we have to bring amendment bills frequently. Therefore, I request the union government to publish the names of these castes in vernacular languages as well. By doing so, we will be avoiding such amendment bills in future. Sir another important issue is about proportionate representation in the government. Government includes people's representatives as well as officers. We cannot indulge in day dreaming by chanting "Sabka Saath Sabka Vikas". We should ensure that there is equal distribution of natural resources and government resources. As Babasaheb

Ambedkar stated that for all the problems we find solutions through politics, therefore the Government of India should ensure proportionate representation of the weaker and backward castes in politics.

As the Government includes people's representatives and government officials, I request that these weaker sections should get proportionate representation in both parts of the Government. As stated by Dr B R Ambedkar *

Equalisation of unequal society is one of the prime objectives of our constitution. Equal treatment of unequals was pictured inequality.

So, by bringing this amendment Bill you are adding some more castes to the list of schedule tribes. In this regard there is a need to increase the reservation quota of schedule tribes from 7.5%. As per article 243 d 341 and 342 proportionate reservations guaranteed to the SCs and STs in the constitution. I request the Honorable minister to listen to my proposals in this regard.

I will request hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Munda Ji, to kindly note down my points.

Socio economic caste census. Equitable distribution is a natural principle of justice. There is a need to find out how many people belonging to SC, ST, backward classes and minorities are living in pathetic conditions. Due to the lack of unity, our country suffered thousand years of slavery. To ensure that history is not repeated we should achieve unity in our country. To achieve unity we should have equality. To have equality we should know the conditions in which all people are living. Therefore, we should have a caste census along with other socio-economic parameters and that report should be made public. Baba Saheb Ambedkar has stated that caste is the only reason for the backwardness of the people in our country. Therefore, it is mandatory for us to conduct caste census. Literacy rate amongst tribals is very low.

National average of literacy is 73 per cent, whereas it is 59 per cent in the Scheduled Tribes.

This difference that we see here should be reduced by taking appropriate actions by the government. Wherever the population of tribals exceeds 5000, we should have an Eklavya school in that area. Schedule tribes are being discriminated against, on the basis of language, culture, caste and standard of living. In this regard we have many laws but these are not being implemented at ground level effectively. Problems related to health and nutrition, we need to focus on this.

Most of the deaths are occurring in Scheduled Tribe population due to common diseases like malaria, diarrhoea, malnutrition, jaundice etc. So, I request the Government to take special interest in that and establish medical colleges in extreme tribal areas also.

Sir, tribal dialects are getting extinguished. The Government should take necessary steps in this regard.

Regarding delimitation of ST Assembly Constituencies, there is a popular demand from the Scheduled Tribe communities that the number of ST constituencies need to be increased on the basis of population district-wise as is done for Scheduled Castes. People from Scheduled Tribe communities are also requesting for a special drive recruitment.

* As per the assessment made by the associations of Scheduled Tribes, they represent only 3% of employees in both state and Central Government, though they have 7.5 percent in reservation. Therefore, I request hon. Minister to bring out the actual figures of tribals who are employed in both Central as well as state governments. As the union government is privatising many government organisations, the benefit of reservation that tribals would have got is being denied. Therefore, I request the government to introduce reservations in the private sector as well. *

Distress migration is very high in Scheduled Tribe communities. The Government should provide them necessary financial assistance and prevent a distress migration.

There is one important government scheme by the name credit guarantee scheme and stand-up India scheme in which SC, ST are exempted from providing collateral security to get loans but banks are ignoring this provision and are not providing loans to the people belonging to these groups. I request the hon. Minister to look into this issue.

To conclude my speech, I have one request from Andhra Pradesh about the Central University of Andhra Pradesh.

* In the Andhra Pradesh reorganisation act 2014, a tribal University was sanctioned to the state of Andhra Pradesh. Funds for this university are not being released adequately and as a result this university is functioning in rented accommodation. Therefore, I request the union government to release the funds and develop the tribal University in Andhra Pradesh at the earliest.*

Sir, with these words, I conclude my speech. I thank you for giving me this opportunity.

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर) : सभापति महोदय, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022 छत्तीसगढ़ से संबंधित जो 12 जनजाति समूह कई सालों से मांग कर रहे थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनको इसमें समाविष्ट नहीं किया गया था। लेकिन, उन लोगों के लिए अभी के शासन ने प्रयास किया है। इसलिए, मैं इस विधेयक को सपोर्ट करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का मुद्दा बड़ी चर्चा में है। सदन में कई बार महाराष्ट्र के सांसद, जो गैर-आदिवासी धनगर कम्युनिटी है, इस धनगर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की वे मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी, पिछले दशक से चुनाव के मुद्दे को नजर में रखते हुए, यह मांग जोर पकड़ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में धनगर ऐसी जाति है, जिस एक ही जाति को वर्ष 2000 में एक नोमैडिक ट्राइब के तौर पर 3.5 परसेंट का आरक्षण दिया गया था। यह इसी एक कम्युनिटी को दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जनजाति है, जो कि तकरीबन 47 जनजातियां हैं, उनको 7.5 परसेंट आरक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन करके राज्य सरकार का जो ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, जो ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट पुणे में है, वह तय करता है कि किस कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उसने स्पष्ट किया है कि धनगर जाति को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार इस जाति की जो मांग है, उसको इस टीआरटीआई ने ठुकराया है। हाल ही में, पिछले शासनकाल में, भाजपा-शिवसेना की युक्ति वाली सरकार ने धनगर आरक्षण के मामले में नामांकित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज संस्था, जिसे TISS के नाम से जाना जाता है, वह एक नामांकन इंस्टिट्यूट है, उसने भी धनगर जाति के बारे में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में धनगर जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद भी राजनीति के लिए यह मांग बार-बार उठाई जा रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज है, उसकी धनगर जाति के संबंध में जो रिपोर्ट है, उसे सार्वजनिक किया जाए। महाराष्ट्र में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, मेरा पालघर डिस्ट्रिक्ट है, जहां जव्हार मोखाड़ा है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में तोरंमल है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के भी कई ऐसे एरियाज हैं, ऐसे जो कई एरियाज हैं, हर साल आदिवासियों भाइयों के जो छोटे बच्चे हैं, मालन्यूट्रिशन की वजह से हर साल करीबन चार या पांच हजार आदिवासी बच्चे कुपोषण से मरते हैं। वे स्टार्वेशन से मरते हैं।

हमारे यहां ट्राइबल्स की ऐसी कन्डीशन है कि वे सुबह काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी ट्राइबल्स की सिचुएशन है। लेकिन धनगर कम्युनिटी में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, हमारे मराठा समाज के भाइयों के बाद, सबसे ज्यादा लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास 200 एकड़ लैंड है, किसी के पास 50 एकड़ लैंड है, किसी के पास 25 एकड़ लैंड है, किसी के पास 10 एकड़, तो किसी के पास 5 एकड़ लैंड है।

महोदय, इकोनॉमी के तौर पर ट्राइबल में उनकी गिनती नहीं हो सकती है क्योंकि ट्राइबल्स से कई गुना लैंड उनके पास है। मेरी मांग है कि ऐसी जो कम्यूनिटी है, उन्हें धनगर कम्यूनिटी को ट्राइबल में नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में फर्जी जनजाति प्रमाण पत्र का भी इश्यू है। न्यायालय के आदेश के चलते मामला पेचीदा हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलाराम बहरा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में ऐसा निर्णय दिया था कि जिस व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है और जिस का जाति प्रमाण पत्र पड़ताली द्वारा अवैध घोषित किया गया है, उसकी नियुक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने void-ab-initio करार दिया है। इससे पहले स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में सेवा में संरक्षण दिया था, लेकिन इस केस में निर्णय के बाद स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही फैसला पलटाते हुए कहा कि यह उचित नहीं है कि महाराष्ट्र में आर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल संघटन ने उच्च न्यायालय में याचिका तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को राज्य में लागू करने की मांग की है और फर्जी जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मचारी, जिन्हें 15 जून, 1995 के शासन निर्णय का हवाला देकर सेवा में संरक्षण दिया था, वह बात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है, ऐसी दलील उच्च न्यायालय में रखी। दुर्भाग्य में महाराष्ट्र में अभी 55096 वैकेंसीज को सुपरन्यूमररी पदों में लिया गया है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और विशेष मागास प्रवर्ग की जाति पड़ताली हेतु एक कानून वर्ष 2000 में पारित किया था। उसमें सेक्शन 10 और 11 में क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी के प्रावधान किए गए थे। उस प्रावधान पर राज्य सरकार अमल नहीं कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का मामला बहुत अहम है। जो असली आदिवासी हैं जैसे ठाकुर कम्यूनिटी के लोग हैं, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। कोष्टी, मनेरवालर, कलार, धनगर, कुम्भार आदि जातियों ने ट्राइबल का सर्टिफिकेट बनाया है और असली आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है।

मेरी मांग है कि जिन्होंने इस तरह से ओरिजिनल ट्राइबल्स के सर्टिफिकेट पर अपना सर्टिफिकेट बनाया है, उसे बर्खास्त किया जाए। आदिवासियों की जो लैंड है, वह गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ट्राइबल लोगों की लैंड प्राप्त की है। वर्ष 1974 के महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट और राष्ट्रपति अध्यादेश 36अ और 36ब का सीधा-सीधा महाराष्ट्र में उल्लंघन हो रहा है। राजस्व मंत्री ने कई ऐसे केस निकाल दिए हैं कि तीन, साढ़े तीन हजार के आस-पास आदिवासियों की लैंड जो महानगर हैं जैसे मुम्बई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद के आस-पास ऐसी कई आदिवासी लैंड है, जिन्हें ग्रैब किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र शासन को आदेश दिया जाए कि जो भी आदिवासी लैंड किसी गैर आदिवासी ने फर्जी सर्टिफिकेट द्वारा हासिल किया है, उसे बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद।

16.00 hrs

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Chairman Sir, this is the fifth in the line of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bills that the Government is bringing to this House.

Needless to say, we welcome the Government's move to include more and more of our tribal brothers and sisters who have been on the margins of society for hundreds and thousands of years and who deserve all the support that the State can give them and that we collectively as a polity can give them. There is no question of any section of this House grudging the good luck that the tribals in Karnataka, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh etc. have and that these tribal brothers and sisters have had the good luck of being included as part of the Scheduled Tribe community which will give them much needed benefits, much needed support for their upliftment in society.

Obviously, we support this initiative of the Government. I have, as all my colleagues have from various States, a few suggestions and requests to the Government. Please do not neglect Odisha in the context of inclusion of the Scheduled Tribes from Odisha. Hon. Minister, not that you have been the Minister all this while but now that you are the Minister, you are the one we have to come to plead with. From 1978 till 2022, the State Government of Odisha has requested for more than 160 Scheduled Tribes to be included as part of the Scheduled Tribes community list.

May I say this that the last time when Odisha had some relief in this regard was when our colleague, Mr. Jual Oram, who is here, was the Minister way back in 2001 and 2002 when, of course, the BJD and the BJP were partners in Government. Shri Naveen Patnaik ji then requested Jual ji who was the Minister from our State. He very kindly decided to post-haste push through some of the Scheduled Tribes. We are grateful to Mr. Oram for that but now we are no longer partners in Government in Odisha. I do recognise the fact that the hon. Prime Minister, Modi ji, has always looked at Odisha with a benevolent eye. Any constructive suggestions from the Chief Minister of Odisha have always been met with favour. Many of our distinguished Ministers are here. Mr. Hardeep Singh Puri is here.

16.01 hrs (Shri A. Raja *in the Chair)*

I must take the opportunity of thanking him in person for many of the initiatives that have come from the Odisha Government which he very kindly post-haste pushed through in his Ministry. The Chief Minister of Odisha has given a couple of suggestions which merit consideration. The methodology and modality for inclusion of Scheduled Tribes is, I think, an outdated modality today. Kindly see that you are still following the Lokur Committee's recommendations of 1965 which are almost a half a century old. Now what does the Lokur Committee say? The Lokur Committee way back in the 60s had mentioned that communities to be included as Scheduled Tribe must have primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and socio-economic backwardness. These are in today's time in 2022 outdated notions. Today, our boys and girls from Scheduled Tribe are at par with anybody from any caste and from any region in the country. They are outshining them. The hon. Minister here is an outstanding example of that. You all have now come forward and taken your place in society in a very, very large measure. We thank you for your hard work, your initiative, your brilliance in terms of your mind, and your bodily energy which is next to none in the world. Therefore, today, to go by these categorisations, I think, is an outdated notion. My Chief Minister, therefore, has repeatedly, requested the Government in 2014, 2021 and 2022 to set up a quadripartite committee. It should be a fresh quadripartite committee comprising the Ministry of Tribal Affairs, the Registrar General of India, the Anthropological Survey of India, and the Government of Odisha. Apart from that, you can also include technologists, anthropologists, and the representatives of various State Governments which have a very large tribal base and ensure that a more broad based approach is taken, rather than these narrow prisms for inclusion as Scheduled Tribes.

I think our Scheduled Tribe brothers and sisters require today a much more holistic and a much more broad-based approach in terms of their recognition. If you go by these narrow definitions of who can be a Scheduled Tribe, then in fact some of the established Scheduled Tribes today who are part of the Order will probably be disentitled because none of them will have these characteristics. So, this is not fair. People know Scheduled Tribes are not being included only because they are being kept out on these very narrow prisms.

So, I would request you to kindly heed to what Naveen babu had said to set up a new quadripartite committee with a time-bound agenda so that they give you a report at the quickest possible initiative. Then, you follow up on that and give all other States particularly Odisha which has a very large Scheduled Tribe community comprising of more than 22 per cent. That is a very large number in the country and for our State. I would, therefore, seriously urge you to please pay heed to what my Chief Minister has repeatedly written. The last of these letters is dated 16-9-2022, by when I think, Munda ji, you have already taken over as the hon. Minister. In fact, nine proposals have already been cleared way back in 2014. We are in 2022 and the Government is still not bringing

that as part of a Government Order. There is no reason for this kind of laxity. I think you have to pull up your Ministry officials. There seems to be some degree of laxity there because for eight years a proposal is pending after it is cleared by everybody. The State Government has cleared it, your Ministry has vetted it, scrutinised it and cleared it. All it needs is a Government Order. Jhodia for instance, as Jual Oram ji was telling me just now, which is one of the Scheduled Tribe communities, has been left out needlessly completely. In my Constituency, Soro has been included Suaro has not been included. It is just a phonetic distinction which could be between villages. That does not mean that either of them is not a Scheduled Tribe. Therefore, I think a more holistic approach is something that we would request you. The Ministry of Tribal Affairs has gone in April 2022 to the State of Odisha. They have discussed various proposals. Those proposals are lying with you, hon. Minister. May I request you once again to kindly do justice to Odisha, and apart from Odisha all other States also. I am not only canvassing for Odisha. We are glad and we support the fact that you have brought in these States that you have brought in today and in the last four, five days. In the Budget Session, please do justice to States like Odisha which have been left out for a long time and our brothers and sisters of the tribal community have been left out. They are today excelling in hockey, archery, gymnastics, in all fields of sports. Tribal boys and girls from Odisha today are in the forefront of India and the world. Let me request you to kindly play a little attention to this at a very very rapid clip and ensure that Odisha is at par with the rest of the States.

I thank you once again Mr. Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पर मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विचार जानना चाहा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, इसके पहले भी अनुसूचित जाति व जनजातियों के वास्ते लाए गए समस्त संविधान संशोधनों पर हमारी पार्टी ने हमेशा सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। यदि कोई भी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की जाती है तो वह जाति कहीं न कहीं किसी अन्य जाति, जैसे ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी न किसी वर्ग से आती है। इन जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना यह दर्शाता है, लोगों के मन में विश्वास बनता है कि ये जातियाँ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से नितान्त ही दबी हुई हैं, पीछे हैं और यदि इनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाएगा तो इन जातियों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यदि सबसे पहले नौकरी की बात की जाए तो सरकार धीरे-धीरे समस्त सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर्स में देती जा रही है, जहाँ आरक्षण की कोई सुविधा नहीं मिलती है। वहाँ दोहरा मापदण्ड अपनाया जाता है। यहाँ एक तरफ तो आरक्षण दिया जा रहा है, उस जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है कि इससे उस जाति का आर्थिक उन्नयन होगा, वहीं दूसरी तरफ उसको मिलने वाले आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर उनका आर्थिक उन्नयन कैसे हो सकता है। माननीय मंत्री जी अपने प्रत्युत्तर में इस संबंध में जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ शिक्षा की बात की जाए तो परास्नातक स्तर पर मात्र एक हजार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देनी समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय ने तय की है।

पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कई हजार होती है, लेकिन एक हजार छात्रों को छात्रवृत्ति देना, यह ऐसे साबित करता है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। एक प्रकार से कहा जाता है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के बलबूते वे पढ़ाई व नौकरी पाते हैं और दूसरी तरफ इन वर्गों के लोगों को नौकरी पाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, जब इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, जब इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो सरकारी क्षेत्रों में ये कैसे नौकरी पाएंगे? मेरी आपकी तरफ से यह मांग है कि जितने छात्र परास्नातक में एडमिशन लें, तो प्रत्येक छात्र को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था यह सरकार करे। इसी प्रकार सरकार को यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता है तो सरकार उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को भी रोके। एक छोटा उदाहरण है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार आया है, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में इन वर्गों के ऊपर अत्याचार से संबंधित घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 25.82 प्रतिशत घटनाएं घटित हुई हैं। वहीं दूसरा नंबर राजस्थान का आता है, जहां 14.7 प्रतिशत घटनाएं इन वर्गों के ऊपर घटित हुई हैं।

महोदय, मेरा अभिप्राय किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नवनिर्माण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का हमेशा-हमेशा सहयोग रहा है। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लक्ष्य बनाकर इस देश में संविधान के विरुद्ध जुल्म और ज्यादती की जा रही है? इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के ऊपर हुए अत्याचारों से संबंधित कुल 2 लाख 63 हजार 512 मामले लंबित हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इन वर्गों के समग्र विकास के लिए शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में आगे आने हेतु यह भी संविधान में संशोधन लाया जाये कि देश में चाहे सरकारी, अर्धसरकारी या प्राइवेट सेक्टर हो, वहां आरक्षण की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाये। इनको संविधान के अनुरूप चतुर्मुखी विकास के लिए हमेशा मौका दिया जाये।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

चेयरमैन साहब, इस बिल के ऊपर अभी जितने लोगों ने भी बात की है, सब लोग यह चाहते हैं कि उनके रिजर्वेशन के बारे में, जितनी भी कास्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, उसके साथ-साथ उन लोगों की लाइफ अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस सरकार को देखना बहुत जरूरी है। अभी-अभी एक ऑनरेबल मैम्बर बात कर रहे थे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत लोग दिनभर काम करने के बाद भी शाम को भूखे मरते हैं। ऐसा उन्होंने बताया है। हमें स्वतंत्रता मिले 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज के दिन भी अगर लोग बिना खाने के मर रहे हैं, वह भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ऐसी कास्ट्स को अपलिफ्ट करने की बनती है। उन लोगों के एरिया को डेवलप करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों को सर्विस सेक्टर में सुविधा देने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह बहुत दु:ख की बात है। अभी भी ट्राइबल में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। इस देश की परिस्थिति पर बहुत से ऑनरेबल मैम्बर्स ने बात की है। उसके बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। उसके साथ-साथ तेलंगाना बनने के बाद हम एक बिल लेकर आए हैं। वह बिल नम्बर 2017 है। हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और उसी के साथ-साथ सर्विसेस में रिजर्वेशन देने के लिए उस बिल को असेम्बली में पास करके 2017 में केन्द्र सरकार को भेजा था। हमने इसके बारे में कई बार लेटर भी लिखा है। इस हाउस में इस बिल के बारे में बात भी की है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा है। हम लोगों ने ऑनरेबल मिनिस्टर से भी इस बिल के बारे में काफी कुछ बातें भी की हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को एसटी एवं एससी के लोगों को, असल में उनके जीवन में जो तकलीफ हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, तो पहले तेलंगाना के इस बिल को तुरंत पास करवाइए। तेलंगाना का बिल, वर्ष 2017 से, करीब 4 साल से केंद्र में पड़ा हुआ है। इसको तुरंत पास करवाइए और एक्ट बनाइए। हमारे तेलंगाना के एससी एवं एसटी लोगों को इसके माध्यम से सपोर्ट कीजिए। नहीं तो, यह क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे तेलंगाना के एससी, एसटी एवं बैकवर्ड क्लास के लिए आप लोग थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं। यह मैसेज आप दे रहे हैं। उसके साथ-साथ हमने कैटेगराइज़ेशन के लिए भी, वर्ष 2014 में असेंबली रेज़ोल्युशन के माध्यम से ए, बी, सी, डी के कैटेगराइज़ेशन के लिए बिल आपके पास भेजा है। आज उसको 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसमें भी आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। यह सब आपको देखना चाहिए। उसके साथ-साथ हम यही बोलना चाहते हैं कि आज हम जिस संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, उस संबंध में मेरा यह कहना है कि जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है – माननीय बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, उनके नाम पर हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम रखने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं।

इससे हमारे देश के एससी, एसटी एवं बीसी लोग यह सोचेंगे कि नई पार्लियामेंट का नाम अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने भी तेलंगाना में असेंबली की नई बिल्डिंग का नाम अंबेडकर जी के नाम पर रखी है। आपको भी ऐसा करना चाहिए। उसके साथ-साथ तेलंगाना में हम लोग दलित बंधु स्कीम में दलितों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसमें हरेक दलित को 10 लाख रुपये फ्री में दे रहे हैं। उस रकम को वापस करने की जरूरत भी नहीं है। उसी तरह से एसटी के लिए पूरे देश में आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बंधु स्कीम बना कर उनको सुविधाएं दीजिए, तभी उन लोगों के परिवार ऊपर उठ पाएंगे और उनका जीवन थोड़ा सुधरेगा। उसके बाद मेरा यह कहना है कि सन् 1917 एक्ट आप लोग लाए हैं, जिसमें उस टाइम से ले कर अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उन लोगों की लैण्ड्स की रजिस्ट्रेशन के लिए रुकावट चल रही है। आप उस बिल में भी अमेंडमेंट कीजिए। एसटी अपनी खेती-बाड़ी करता है, उन खेतों को उनके नाम पर रजिस्टर करवाइए और उनको दीजिए। यह तेलंगाना का मामला नहीं है, पूरे देश में एसटी के लोग जो लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उन खेतों को उनके नाम पर रजिस्टर करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूँ।

सर, मैंने जो 3-4 मुद्दे उठाए हैं, हम तो माननीय मंत्री जी से यही बोलेंगे कि आप अपने रिप्लाई में इन बातों को शामिल कीजिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 75 सालों के बाद भी हमारे हउस में एसटी के लोगों की भूख से मौत की बात हो रही है, इसकी वजह से हमको भी बहुत तकलीफ हुई है। उसके लिए भी आप क्लियरकट यह बताएं कि ऐसे लोगों के लिए यह सरकार क्या करेगी? उसके बारे में रिप्लाई करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, on behalf of my Party, I stand here to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

Let me make it very clear that I thank Shri Arjun Munda ji, who consistently, relentlessly कि पूरा हफ्ता इन्हीं के बिल चल रहे हैं। आज चौथी बार, भले ही वह तमिलनाडु का हो, कर्नाटक का हो, छत्तीसगढ़ का हो और हिमाचल प्रदेश - इन 4 राज्यों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ।

सर, जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहां अनेक वर्षों से धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण के बारे में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। हर राज्य की पार्टी का एक अलग विचार रहा है। मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूंगी, लेकिन मैं अपना भाषण 2 भागों में डिवाइड करूंगी। एक तो पिनाकी मिश्रा जी ने जो कहा है, वह मुद्दा बिल्कुल सही है कि उन्होंने लोकर कमिटी के बारे में कहा है, जो सन् 1965 में बनी थी। जिसने कुछ रेक्मेंडेशंस दिए थे। संयोग से पिनाकी जी के राज्य, ओडिशा से वे आते हैं और उनका नाम श्री पांडा जी है। वर्ष 2014 में, जब किशोर सिंह देव जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक कमिटी बनाई थी और श्री ऋषिकेश पांडा जी उसके अध्यक्ष थे।

उसकी भी काफी रिकमेंडेशन्स हैं। जो बात पिनाकी मिश्रा जी ने कही और उन्होंने वर्ष 1965 की कमेटी को क्वोट किया, उसमें और पांडा साहब की कमेटी, जो वर्ष 2014 की थी, उन दोनों में काफी समानताएं हैं। उनका यही सुझाव है कि एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल आए, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि अगर आप देश के लिए एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल लाएंगे तो इस देश के जो शोषित, पीड़ित और वंचित लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। क्राइटेरिया भी एक्सपैन्ड कीजिए। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वह बहुत अच्छे हैं। उसके लिए सेन्सस भी करना पड़ेगा। अगर यह सरकार एक डिटेल्ड सेन्सस करे तो एक अच्छा बदलाव, जो आप करना चाहते हैं, वह होगा। उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश में जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके लिए तो हम सब एक ही आवाज़ में बोलेंगे। इसमें न यूपीए है, न एनडीए है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज जब ड्रग्स एब्यूज के बारे में बिल आया तो एक आवाज़ में हम होम मिनिस्टर के साथ खड़े रहें। इसके बारे में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब यह बिल आ रहा है तो मैं थोड़ी-सी कंफ्यूज हो गई हूं।

सर, आप थोड़ी टिप्पणी करके मुझे समझा दें। मैं रोज डिबेट सुन रही हूं। मैं इस डिबेट में धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लिम आरक्षण और जो हमारे राज्य में मांग हो रही है, उसके बारे में नहीं बोलूंगी। मुझे पता है कि ऐसा करने से यह धनगर के लिए सीमित हो सकता है। लेकिन, मेरे बहुत सीनियर कुलीग राजेन्द्र गावित जी का मैं भाषण सुन रही थी।

सर, मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि महाराष्ट्र में अभी 'ई.डी.' सरकार है। मैं 'ई.डी.' नहीं कहती, वे खुद को 'ई.डी.' कहते हैं। देवेन्द्र जी खुद कहते हैं कि हमारी 'ई.डी.' सरकार है, मतलब 'एकनाथ और देवेन्द्र।'

सर, मैं संक्षेप में आपसे थोड़ी-सी क्रोनॉलोजी बोलूंगी। वर्ष 2013 में देवेन्द्र जी महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष के नेता थे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती आए थे। जब वे बारामती आए थे, तब उन्होंने ढोल बजाकर कहा था कि जब हमारी सरकार वर्ष 2014 में आएगी तो हम पहली कैबिनेट मीटिंग में धनगरों को आरक्षण देंगे। उसके बाद पाँच साल उनकी सरकार रही, कैबिनेट की 250 बैठकें हुईं, पर उन्होंने इसे नहीं किया, धनगरों को आरक्षण नहीं दिया। फिर उनकी सरकार नहीं, महा विकास अगाड़ी की सरकार आई। इनकी सरकार ने जो सर्वे किया था और गावित जी जो बात कह रहे थे, वह सही है कि देवेन्द्र जी ने उस काम को 'टी.आई.एस.एस.' को दिया था और उसने कहा था कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए । हमारी मांग पहले दिन से यह है कि हमें किसी का कुछ लेना नहीं है, जिसे आरक्षण है, वह वहीं रहे और बाकी जिन्हें आरक्षण देना है, उसके बेस को एक्सपैन्ड करके उन्हें देना है। इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि अगर धनगर को एस.टी. में आरक्षण मिले तो आज जो एस.टी. में हैं, उनका कम हो। हम लोग दूसरे का निवाला कभी नहीं छीनेंगे। जिसका जो हक है, उसे वह मिलेगा। उनको नया देना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। लेकिन, मुझे कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि गावित जी, जो आज शिव सेना में हैं, उनके विचार के, उनके नेता आज मुख्य मंत्री हैं और वे कह रहे हैं कि धनगरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा गावित साहब कह रहे हैं। कल यही शिव सेना कह रही थी कि धनगरों को आरक्षण दिया जाए। शिव सेना का स्टैण्ड क्या है, यह सवाल मैं बी.जे.पी. से पूछना चाहती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार की मिलीभगत वाली 'ई.डी.' सरकार है।

मुंडा जी से मैं एक डायरेक्ट सवाल कर रही हूं। मुझे विश्वास है कि इसका आप जवाब देंगे, क्योंकि जो धनगर हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उनको आप …* दे रहे हैं। यह …* की राजनीति हो रही है, यह सत्य की राजनीति नहीं हो रही है। अब 'ई.डी.' सरकार सच में यह जवाब दे कि वे धनगरों को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कल उनके वक्ता कह रहे थे कि धनगरों को आरक्षण मिलना चाहिए और आज शिंदे सेना के लोग कह रहे हैं कि हम धनगरों को आरक्षण नहीं देना चाहते।… (व्यवधान)

Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She is not yielding.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am not yielding. … (*Interruptions*) I think, the hon. Minister … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister will give reply.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*) इन्होंने …* दिया है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Supriya *Ji* is saying.

… (*Interruptions*) … ***

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: जिस जनता ने इन्हें इतने वोट देकर चुन कर भेजा है, यह बीजेपी और शिंदे सेना, ये लोग उस बेचारे शोषित, पीड़ित, वंचित, मेहनत करने वाले धनगरों को बदनाम कर रहे हैं।… (व्यवधान) उन्हें …* दिया है। पाँच साल पहले …* देकर वोट लिए, आज भी … * दे रहे हैं।… (व्यवधान)

सर, आप ही सोचिए, आज वह धनगर क्या सोच रहा होगा।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सर, आप ही सोचिए, आज वह धनगर क्या सोच रहा होगा कि उन्होंने देवेन्द्र जी पर विश्वास किया। वह इनके विचार का ही आदमी है। हम क्या कह रहे हैं? पहले ही दिन से महा विकास अगाड़ी का स्टैण्ड है कि आदिवासी का जो है, उसी का रहेगा।… (व्यवधान) हमें किसी का हक नहीं चाहिए। हमें न मराठों का हक चाहिए, न धनगरों को किसी और का हक चाहिए, न लिंगायत का चाहिए, न मुसलमानों का चाहिए, बल्कि जो हमारा है, वह हमें दे दीजिए, हमें दूसरों का कुछ नहीं चाहिए।… (व्यवधान) हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हम दूसरों का निवाला कभी नहीं लेंगे। जो हमारा है, वही हम मांग रहे हैं।… (व्यवधान)

आप सिर्फ बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या है? … (व्यवधान) इस राज्य ने विश्वास रखकर देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। हमारा राज्य सबसे बड़ा है।… (व्यवधान) वहाँ आप कहते हैं कि धनगरों को आरक्षण देंगे और यहाँ उनका मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि उन्हें नहीं देंगे। बेचारे धनगर समाज को ऐसे भी फंसा देंगे। यह महाराष्ट्र के धनगर और आदिवासी समाज के लिए अन्याय है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Supriya Ji, please speak on the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: This is a part of the Bill. The Dangar *samaj* is asking. So, I am informing the hon. Minister that it is his Minister in Maharashtra and it is his ideology. So, there is BJP and Shiv Sena Government in Maharashtra and the same Government is here. Then, how can there be two conflicting images?

How can they have two different views? Do you want Dangar, Marathas, Lingayat and Muslim to get reservation or not? It is because their one speaker yesterday said हाँ, धनगरों को आरक्षण माँगना चाहिए। I challenge what they said yesterday and see what they are saying today. Today, he is speaking against Dangar. आप क्या समझ रहे हैं? You are cheating the people of this nation. These are poor people who are needy people and are asking for their rights. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You made your point. Please go on to the other point.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Supriya Sule Ji's speech.

… (*Interruptions*) … *

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: The other point that I am trying to make is different.

Sir, I never disturbed ever. You have seen my record for 30 years. मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलती हूँ। मैं खुद बोल लेती हूँ।… (व्यवधान) I never disturbed anybody.

HON. CHAIRPERSON: She is not yielding to you. I cannot permit. If at all anything has to be replied, it will be replied to by the Minister.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She asked some political questions. Hon. Minister will reply during his reply.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I thank the Minister for what has been explained by the Minister during the introduction of the Bill. वह बहुत बड़े दिल वाले हैं। वह ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्प्ल दूँ कि धनुकर और धनुवर कम्युनिटीज़ हैं। I will finish in 30 seconds. Unfortunately. S.P. Baghel Ji is not here. He is a very competent Minister in the Modi Government. He has always looked after Dhangar and Dhangad. अगर वह यहाँ होते तो पूरे हाउस को अच्छी तरह से समझाते। मैं भी जब दिल्ली चुनकर आई थी तो पूरे महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण की मांग थी। यह पूरे देश के बारे में था। एस.पी. बघेल जी ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। वह मेरे बड़े भाई है। धनगर और धनगढ़ के लिए जैसे आप बाकी राज्यों के लिए कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र के धनगर और धनगढ़ के लिए भी आप अलग न सोचें। मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। जैसे पिनाकी जी ने कहा कि हम सब की यह डिमांड है। आप एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाइए और एक पूरा सेन्सस कीजिए। जो शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हैं, उन सब को न्याय दें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

HON. CHAIRPERSON: What is your Point of Order?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, 357

HON. CHAIRPERSON: You read Section 357.

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, उन्होंने गावित जी का नाम लिया है।

HON. CHAIRPERSON: By virtue of that Section, what do you want?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, वह अपना पर्सनल एक्स्प्लनेशन देंगे, क्योंकि उनका नाम लिया है।

HON. CHAIRPERSON: You read Section 357.

DR. NISHIKANT DUBEY:

"A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

यदि आप नाम लेते हैं तो पर्सनल एक्स्प्लनेशन में आता है... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: What is the personal explanation? There is no question of personal explanation.

डॉ. निशिकांत दुबे : वह देंगे, क्योंकि उनका नाम लिया है। वह धनगर को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If any Member's name is dragged into the debate by a particular Member, then he is entitled to give the personal explanation. This is not a personal explanation.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): यह पोलिटिकल बात है। उन्होंने मेम्बर का नाम लिया है... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: She has asked some questions. At the time of her submitting the argument, she was telling about the political inconsistency between the Shiv Sena and BJP. I think politically, she is entitled to do. If you want to repel it, you repel it. Your Minister is here.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Thank you, Sir.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She has not put forth her argument against a Member. Her argument is against a political entity and party.   The hon. Minister is belonging to the same party and he is entitled to give political answer also.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She has mentioned about alliance.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Minister will take care of your interest. Do not worry.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please take care of his interest also.

Shri Sunil Kumar Soni may speak now.

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): सभापति जी, मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और रेणुका सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां लाखों आदिवासी भाई-बहन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये 12 जातियां कब शामिल होंगी, उनको न्याय कब मिलेगा। आज प्रधान मंत्री मोदी जी के संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि मोदी है, तो मुमकिन है। आज छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी भाई-

बहनों का सपना मुमकिन हुआ, जो प्रधान मंत्री मोदी जी के नये भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का पढ़-लिखकर अंग बनेंगे और नये भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के सभी लोग गर्व महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ का सुदूर बीजापुर का बस्तर क्षेत्र आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पांच लाख रुपये का मुफ्त इलाज होता है। इस लाभ को पूरे भारत के अंदर देने का फैसला प्रधान मंत्री जी ने लिया और इसके लिए छत्तीसगढ़ को भी चुना। इस राज्य की कांग्रेस की सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस के नाम पर पिछले ढाई साल तक गुमराह किया और लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। जब मैं संगठन का काम करता था तो बस्तर क्षेत्र में गया। मैंने वहां एक भाई से पूछा कि यह मकान किसने बनाया, तो वह बोला कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने बनाया। उसको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। उसकी आंख की चमक और चेहरे के भाव को जब मैंने पढ़ा तो उसको लगा कि मुझको दुनिया का सब कुछ मिल गया। दुर्भाग्य है कि पिछले चार सालों से छत्तीसगढ़ में एक भी प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उनके जीवन में परिवर्तन करने वाली जो योजनायें हैं, उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार थी, तब हमने 4 लाख 70 हजार लोगों को वहां वन भूमि पट्टा दिया। वहां पर एक पलड़े के अंदर इमली और दूसरे पलड़े में नमक, एक पलड़े में चिरौंजी और दूसरे पलड़े में नमक तौलकर जब देते थे, तब छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने एक फैसला लिया कि हम मुफ्त में नमक देंगे, एक रुपये प्रति किलो चावल देंगे। उन आदिवासी भाई- बहनों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया। हमें खुशी है कि इस देश के अंदर प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड काल खंड के अंदर में, दो वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था हुई। यह संवेदनशील सरकार का एक प्रमाण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां पर एक परिवर्तन आता है। आज इन 12 आदिवासी जातियों को इस संविधान संशोधन के माध्यम से उनका हक दिया जा रहा है।

बस्तर एजुकेशन का एक हब बन गया है। वहां पर मेडिकल कॉलेज, कॉलेज और स्कूल्स हैं। वहां हमारे आदिवासी भाई-बहन पढ़कर आगे बढ़ेंगे। जलजीवन मिशन में नल के माध्यम से हर घर में जल पहुंचता है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रकार की बात छत्तीसगढ़ में बार-बार की गई है। एक भ्रम फैलाने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है।

मैं प्रमाणित तौर पर कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन का पैसा केन्द्र सरकार से आया तो उसके बाद में इसी सरकार ने टेंडर किया, हम लोगों ने आरोप लगाया कि इस टेंडर में भ्रष्टाचार है और इसी सरकार ने उस टेंडर को निरस्त किया। छत्तीसगढ़ एक साल पीछे हो गया। जल जीवन मिशन का लाभ वर्ष 2024 तक देने की मंशा प्रधानमंत्री जी की है कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन, वर्ष 2024 तक यह संपन्न होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

आज बस्तर हर्रा, बैरा, आवंला, कुसुम व महुआ की खुशबू की धरती है। जहां के आदिवासी भाई-बहन हम लोग जल जीवन जंगल कहते हैं। कोविड काल खंड के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जब देश में ऑक्सीजन नहीं था, देश के अंदर हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी लेकिन आदिवासी भाई, जो उस जंगल को बचा कर रखे, उनकी मेहरबानी है कि आज हम लोग इस देश में शुद्ध हवा ले रहे हैं। अगर उसके पीछे कोई खड़ा है तो हमारे आदिवासी भाई-बहन खड़ा हैं।

बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय खुला, सुदूर बस्तर के अंदर जिसको नक्सल के नाम पर हम बदनाम करते हैं, एक सुंदर बस्तर है। एक देश में किसी व्यक्ति को यदि प्राकृतिक हरियाली देखनी है, अगर किसी को सौन्दर्य देखना है तो बस्तर में जाए। वहां भारत सरकार व बीएसएनएल के माध्यम से दूर तक सबको इंटरनेट की व्यवस्था है। कोविड काल खंड में हमारे युवाओं ने उससे शिक्षा अर्जित की, उसका लाभ बस्तर के अंदर हमारी सरकार दे रही है।

मैंने एक बार सोचा, मैं राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है? इसे केवल एक लाइन में बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करती है, जिसका उदाहरण भी मैंने दिया और भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करके काम करती है, जिसका उदाहरण आज आपके सामने है कि आज हम 12 जातियों को न्याय दे रहे हैं। सभी को न्याय मिले, सभी को उसका अधिकार मिले, सभी के जीवन में सम्पन्नता आए, खुशहाली आए और वह नये भारत का हिस्सा बने, इसी बात का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ के अंदर लाखों लोग हैं जिनको आज लाभ मिलने जा रहा है। छत्तसीगढ़ के लाखों आदिवासी लोक सभा का चैनल देखकर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसको करके दिखाया।

छत्तीसगढ़ के ही एक कांग्रेस के सांसद ने आरक्षण का उल्लेख किया। आदिवासी आरक्षण पर कोर्ट के अंदर पहल नहीं की, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार थी, हमने 32 परसेंट आरक्षण दिया, उसका लाभ उन लोगों को 15 सालों तक मिला। लेकिन, इस सरकार ने कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण वह आरक्षण 32 परसेंट से 20 परसेंट हो गया।

आज इसी पार्टी के लोग हैं जो सदन के अंदर बातें कर रहे हैं। मैं आज बहुत प्रमाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब आरक्षण आया, इन्हीं के लोग, मैं नाम का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि वह यहां के सदस्य नहीं है और मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन, प्रमाणिकता से कह रहा हूं कि जिसने आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, उसी व्यक्ति को इस सरकार ने एक सरकारी पद देकर उपकृत किया, यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है।

एक तरफ आरक्षण की बात करना और दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोर्ट में जाना और उस व्यक्ति को उपकृत करना, यह पूरा छत्तीसगढ़ जानता है।

आज वहां हमारे आदिवासी भाई-बहन हैं और जो पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनमें भ्रम फैलाने का काम किया। आज सदन में कुछ देर पहले एक सम्मानित सदस्य ने संवैधानिक पद के ऊपर उंगली उठायी। आज हमारी एक आदिवासी बड़ी बहन जो संवैधानिक पद पर राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रही हैं, आज उनके ऊपर उंगली उठाना, मैं इसको अपराध मानता हूं।

इस प्रकार के भ्रम फैलाकर, इस प्रकार से संवैधानिक पद के ऊपर उंगली उठाकर कांग्रेस पार्टी और ये लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना नहीं बना सकते, लोगों को काम के माध्यम से अपना बनाएं। वहां एक रुपये किलो चावल और उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। जंगल की रक्षा करने वाले लोग नहीं चाहते कि लकड़ी से खाना पकाएं। हमारी सरकार के समय गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला तो उस समय उनके जीवन में परिवर्तन आया। वहां बिजली का संकट था, छोटे मंजरों में बिजली नहीं होती थी, तब हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया।

महोदय, माननीय मोदी जी के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में नए टावर लगाकर, पोल लगाकर घर-घर बिजली देने का काम हो रहा है। जहां हम बिजली के पोल नहीं पहुंचा सकते थे, वहां सोलर लैम्प देकर बिजली की व्यवस्था की ताकि वहां के बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। हमें इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज जब हम उनके हितों की बात करते हैं तो अपराध को रोकने की बात भी होनी चाहिए। मैं आज बहुत सारे क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहता हूं, जहां अपराध के माध्यम से छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया है। वहां अपराधियों को लग रहा है कि उनकी सरकार है। यह सबसे ज्यादा दुख की बात है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के लाखों आदिवासी भाइयों को न्याय मिल रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई छूट गया है तो दुखी मत होना क्योंकि 'मोदी है तो मुमकिन है।' हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। आने वाले समय के अंदर सभी लोगों को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार में माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी के माध्यम से होगी। छत्तीसगढ़ के जिन आदिवासी भाई-बहनों को लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Chairperson, I am thankful to you for allowing me to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

Sir, I join with other hon. Members in congratulating the hon. Minister for taking up all the issues of the Scheduled Tribes' in the country.

In my Constituency, there is a Scheduled Tribe community known as 'Biaty'. They have a unique culture. They are living in one of the most difficult places in India. A cement bag costs Rs. 400 in Meghalaya whereas in Biaty community area, it is almost Rs. 1,200 per bag. They are living in such an area that one bag of cement costs them Rs. 1,200. The community is not a 'Kuki' community. But in the Scheduled Tribe Order, it is written 'Biaty/Kuki'. I would, therefore, request the hon. Minister to delete the name 'Kuki' and leave it with only 'Biaty'. In this regard, a memorandum was sent and endorsed by me, to the hon. Minister as also to the hon. Chief Minister of Meghalaya. But no action has been taken so far.

My request and demand would be that a research team may be sent to find out about the 'Biaty' community which is living there with their unique culture. Their style of living is totally different from that of 'Kukis.' 'Kukis' are mainly in Manipur whereas 'Biaty' community people are mainly in Meghalaya and Assam.

I would, therefore, request the hon. Minister that in line with the actions which he has taken for Chhattisgarh, Tamil Nadu and other States, he should take up this issue also in regard to 'Biaty'.

I think, the concerned file has gone to the North-Eastern Hills University for Research, but the sanctioned amount for the same has not been allotted. Kindly take action in this regard and do the needful to the 'Biaty' community.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in the discussion on Constitution ST Fifth Order Amendment Bill. I welcome this Bill aiming to include certain most backward communities living in Chhattisgarh in the list of Tribes.

Due to the constant and untiring efforts of Hon Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin, people belonging to the marginalised sections of the society like Narikkuravar and Kuruvikkarar communities are now included in the Tribes list. I wholeheartedly extend my sincere thanks to Hon Chief Minister of Tamil Nadu Shri M.K. Stalin and Hon Union Minister Shri Arjun Munda for making possible the inclusion of these two communities in the Tribes list.

In this situation there are several castes from Tamil Nadu who have been demanding for long for inclusion of their castes in the list of Tribes. I urge that the Union Government should consider adding them soon in the list of Tribes. Some communities in the country which are educationally, economically and socially backward are also constantly demanding for inclusion of their communities in the Tribes list. It is unfortunate to say that only after several stages of struggle they can find a place in the Tribes list. There is no new community which becomes socially, educationally and economically backward all of a sudden.

Since Independence the livelihood condition of certain communities remained unchanged even after 75 years of independence. Does this Government accept that these communities have been deprived for the last 75 years of independent India? Can the Government give an assurance that this Constitutional Amendment Bill will be the last bill for inclusion of such communities in the Tribes list? People who are marginalised and who are below the poverty line want that their castes to be included in the Tribes list. Therefore, if the States come with a justifiable demand for inclusion of various communities which are socially, economically and educationally backward, in the list of Scheduled Tribes, the Union Government should act swiftly on such demands.

In my Ramanathapuram constituency, fishermen live in large numbers. Many sections of such fishermen are also demanding for inclusion of their castes in the list of Scheduled Tribes. Fishermen who are having their livelihood based on sea and fishing and they are still socially, economically and educationally in backward condition. I urge that these fishermen communities should be included in the list of Scheduled Tribes so as to make them get the benefits of a tribe besides getting education and employment opportunities. Those tribes who want inclusion in the list of Scheduled Tribes are included in the list in other States of the country. Even after constitution of several committees to consider these demands repeatedly put forth by the State Government of Tamil Nadu, due to the non-consideration by the Union Government, these communities are deprived of not getting educational and employment opportunities. For example, Kurumbar and Lambadi communities have been constantly demanding for inclusion in the list of Tribes and I urge that the Union Government should consider these demands positively.

Pre-matric scholarships given to the students of SCs, STs and Minorities are stopped. SCs and STs are from the Hindu religion. How can this Government which considers itself as a saviour of Hindu religion justify the withdrawal of a scheme aimed to provide Scholarships given to the SCs and STs of Hindu religion.

On one side you are including the economically weaker sections in the lists of SCs and STs, on the other side you are refusing the employment, educational and other opportunities for these communities by disinvesting the PSUs. These communities are deprived of reservation benefits as you have started privatising many PSUs. You should ensure that SCs and STs get their employment opportunities.

Everyone should get equal opportunity through reservation. But this Government has been implementing reservation to the economically weaker sections of the forward castes which is against the welfare of other people who are socially, economically and educationally backward in the society. How can you treat both the sections as one while giving reservation? I urge that Committees should monitor whether the people belonging to the communities in the lists of SCs and STs are availing the benefits.

I urge upon the hon. Minister to set up an Ekalayva School for the welfare of students of SCs and STs in my Ramanathapuram parliamentary constituency. There should also be dedicated skill development centres for the students of these communities in my constituency.

Thank you for allowing me to speak on this Bill.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : चेयरमैन साहब, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने की इजाज़त दी है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

जनाब, पहला सवाल यह है कि पिछले कई दिनों से यहां पर एक के बाद एक अमेंडमेंट बिल्स पर डिबेट हो रही है। इसकी क्या वज़ह है? क्या कोई आईनी इम्पेयरमेंट है या कोई आईनी रुकावट है? क्यों नहीं हम एक ही बिल लाकर, सारे मुल्क में जहां-जहां जो-जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एन्लिस्ट होने के लिए अनटाइटल्ड हैं, इकट्ठा एक बिल क्यों नहीं लाते हैं और उसी पर बहस होती? इससे कहीं न कहीं यह इम्प्रेशन मिलता है कि यह कोई एक सिलेक्टिव है, आप सेप्रेट सिग्नल देना चाहता है। आपको किसी स्टेट में सियासी मकासिद के लिए इसकी जरूरत है, तो उसमें दे रहे हैं और यहां नहीं दे रहे हैं, वहां पोस्टपोन करें।...(व्यवधान) अगर इम्पेयरमेंट नहीं है, तो वह अलग बात है।...(व्यवधान)

जनाब, दूसरी बात है कि हम क्यों यह एक्सर्साइज बार-बार कर रहे हैं? तीसरी बात यह है कि हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि ये सारी एक्सर्साइज क्यों हो रही है? आईन के प्रिएंबल में हमने खुद से और जो भी आने वाली नस्लें हैं, उनसे ये वादा किया है कि एक सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वॉलिटी होगी, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस होगा। इससे एतराफ़ है कि हम वह लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं।

जनाब, इस सारी एक्सर्साइज का मक़सद क्या है? इसका मक़सद यह है कि पहले ही यह एक्नॉलेजमेंट है कि हम सारी कम्युनिटीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सके हैं। अगली बात है कि एक अफरमेटिव एक्शन है, ताकि हम उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ताकि उनको एक जैसे अवसर और एक जैसे मौके मिलें। क्या वाकई तौर पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या जो

कम्युनिटीज़ एड की जा रही हैं, क्या यह सरकार का इख़्तियार है, जिसका चाहे सर्वे करके उसको उसमें एन्लिस्ट करे? लेकिन क्या हम 75 सालों में उनको ये प्रोवाइड करा पाए हैं? आज भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वे पहले ही डिक्लेयर की गई हैं या अब एन्लिस्ट की जानी हैं?

आप देखिए कि क्या उनको हेल्थ केयर में एक्सेस है, एजुकेशन में एक्सेस है, इम्प्लॉयमेंट में एक्सेस है? अगर आप आंकड़े देखेंगे, तो जम्मू-कश्मीर में जो भी एसटीज़ हैं, जहां तक हेल्थ केयर में एक्सेस की बात है, एजुकेशन में एक्सेस की बात है, वहां पर जो भी सुविधाएं हैं, जो भी अफरमेटिव एक्शन्स हैं, जो भी सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स हैं, कहीं भी एक्सेस नहीं है। उनको वहां एक्सेस नहीं है, जहां मिलनी चाहिए थी।

जनाब, मैं एक मिसाल दूंगा। किश्तवाड़ जिले का मड़वाह-वाड़वन एक डिविजन है, वहां अभी तक बिजली नहीं है। ये नहीं है कि वहां आज बिजली खराब हो गई है, वर्ष 2022 तक वहां बिजली पहुंची ही नहीं है। 40,000 लोग बिजली के बग़ैर रहते हैं।

वहां पर ज्यादातर यही कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिन कम्युनिटीज़ के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अभी तक 40,000 लोगों के लिए वहां पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। आज हम 5जी और 4जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। आप देखिए कि 40,000 लोगों के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उन कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें उनका कोई एक्सेस नहीं है।

जनाब, वहां पर जो रोड कनेक्टिविटी है, उनके लिए मार्गन टॉप का एक ही रास्ता है, वह भी बर्फ के नीचे दब जाता है। हमने कहा था कि वहां पर एक बसमीना टनल बनाई जाए, ताकि उनको एक्सेस हो। अभी तो शुरुआत की है। आप कहते हैं कि Jammu and Kashmir is the crown of the country. So, please allow me to speak. … (*Interruptions*)

जनाब, होना यह चाहिए कि हम एक ऐसा सर्व करें, जिस सर्वे में हमें इंडिया मिले। हमें जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी ट्राइबल्स हैं, क्या ये जो अफरमेटिव एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं, क्या हम इन 75 सालों में उनको वह लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाए हैं? अगर वे कम्युनिटीज़ हैं, जिनको हमने पहले ही एन्लिस्ट किया है। मैंने पहले ही बोला है कि हम किसी के एन्लिस्ट करने के खिलाफ नहीं हैं। ये सरकार का काम है। वह सर्वे करके ऑब्जेक्टिव फेयर और जो भी प्रेस्क्रॉइब्ड क्राइटेएरिया है, उसको एन्लिस्ट करे और उसमें शामिल करे। लेकिन जो मूल प्रश्न और बुनियादी सवाल है कि जो कम्युनिटीज़ पहले ही एसटीज़ करार दी गई हैं, क्या उनको वह एक्सेस है? मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर मड़वाह-वाड़वन की बात की है। ऐसा नहीं है कि बिजली खराब हो गई है। वर्ष 2022 में भी 40,000 लोग बिजली से महरूम हैं। अब क्या प्रयास किया जा रहा है? जो सियासी इख्तिलाफ़ है, उसको एसटी किया जाए, लेकिन उनको उससे महरूम रखा जाए।

जनाब, मेरी यह गुजारिश होगी कि एक सर्वे किया जाए। एक तफसीली सर्वे किया जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि किस कम्यूनिटी के कितने लोग हैं। इसके अलावा सेंसस किया जाए और उसके जो नतायज निकले, उसके बाद आप उन कम्यूनिटीज़ से पूछिए कि क्या प्रयास करने की जरूरत है? हर एक कम्यूनिटी का सारा सेंसस मंज़रेआम पर लाया जाए, खासकर एसटी कम्यूनिटी का लाया जाए, जो ऑलरेडी एनलिस्ट की जा रही है।

بولنے پر بِل) سنشودھن پانچواں (آدیش،) جاتیاں جن انوسوچِت (سنویدھان مجھے نے آپ صاحب، چیرمین محترم): ناگ اننت (صاحب مسعودی حسنین جناب]
شکریہ۔ بہت بہت کا آپ لئے کے اس ہے دی اجازت کی

جناب، پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر ایک کے بعد ایک امینڈمینٹس بِلس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی آئینی اِمپیرمینٹ ہےیا کوئی آئینی رُکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں ہم ایک ہی بِل لا کر سارے ملک میں جہاں جہاں جو بھی کمیونِٹیز ہیں، جو شیڈیولڈ ٹرائبس میں اینلِسٹ ہونے کے لئے انٹائٹلڈ ہیں، اکٹھا ایک ہی بِل کیوں نہیں لاتے ہیں اور اسی پر بحث ہوتی۔ اس سے کہیں نہ کہیں یہ اِمپریشن ملتا ہے کہ یہ کوئی ایک سِلیکٹیو ہے، آپ اسپیس سگنل دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو کسی اسٹیٹ میں سیاسی مقاصد کے لئے اس کی ضرورت ہے، تو اس میں دے رہے ہیں اور یہاں نہیں دے رہے ہیں، وہاں پوسٹپون کریں (مداخلت)۔ اگر اِمپیرمینٹ نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے۔

جناب، دوسری بات یہ ہے ہم کیوں یہ ایکسرسائز بار۔بار کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہئیے کہ یہ ساری ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے؟ آئین کے پریمبل میں ہم نے خود سے اور جو بھی آنے والی نسلیں ہیں، ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک سوشل، ایکونومیکل اور پولیٹیکل ایکویلیٹی ہوگی، سوشل، ایکونومیکل اور پولیٹیکل انصاف ہوگا، اس سے اعتراف ہے کہ ہم وہ لکشیہ پورا نہیں کر سکیں ہیں۔

جناب، اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی یہ ایکنولیجمینٹ ہے کہ ہم ساری کمیونِٹیز کو لیوِل پلئینگ فیلڈ پرووائڈ نہیں کرا سکیں ہیں۔ اگلی بات ہے کہ ایک افرمیٹیو ایکشن ہے، تاکہ ہم ان کو ایک لیوِل پلئینگ فیلڈ دے، تاکہ ان کو ایک جیسے مواقع مل سکیں۔ کیا واقعی جو شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں، یا جو کمیونیٹیز ایڈ کی جا رہی ہیں، کیا یہ سرکار کا اختیار ہے، جس کا چاہے سروے کرکے اس کو اُس میں اینلِسٹ کرے ؟ لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان کو یہ پرووائڈ کرا پائے ہیں؟ آج بھی جو شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں، وہ پہلے ہی ڈیکلئر کی گئیں ہیں یا اب اینلِسٹ کی جانی ہیں؟

آپ دیکھئیے کہ کیا ان کو ہیلتھ کیئر میں ایکسس ہے، ایجوکیشن میں ایکسس ہے، ایمپلائمنٹ میں ایکسس ہے، اگر آپ آنکڑے دیکھیں گے، تو جموں و کشمیر میں جو بھی ایس۔ٹیز۔ ہیں، جہاں تک ہیلتھ کیئر میں ایکسس کی بات ہے، ایجوکیشن میں ایکسس کی بات ہے، وہاں پر جو بھی سہولیات ہیں،

جو بھی افرمیٹیو ایکشنس ہیں، جو بھی سوشل جسٹس کے پروگرام ہیں، کہیں بھی ایکسس نہیں ہے۔ ان کو وہاں ایکسس نہیں ہے جہاں ملنا چاہئیے تھا۔

جناب، میں ایک مثال دوں گا۔ کشتوار ضلع کا مڑواہ ۔ واڑبن ایک ڈویژن ہے،وہاں ابھی تک بجلی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں آج بجلی خراب ہو گئی ہے، سال 2022 تک بجلی وہاں پہنچی ہی نہیں ہے۔ 40000 لوگ بجلی کے بغیر رہتے ہیں۔ وہاں زیادہ تر یہی کیمونیٹیز رہتی ہیں، جن کمیونِیٹیز کے لئے یہ کوشش کی جارہی ہیں کہ ان کو لیوِل پلیئنگ فیلڈ دی جائے۔ ابھی تک 40000 لوگوں کے لئے وہاں پر نیٹ کی کنیکٹیوِٹی نہیں ہے۔ آج ہم 5جی اور 4 جی کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں 40000 لوگوں کے لئے کوئی کنیکٹِوِیٹی نہیں ہے۔ ان کمیونیٹیز کے جو بچے ہیں، جو آن لائن ایجوکیشن ہے، ان میں ان کا کوئی ایکسس نہیں ہے۔

جناب، وہاں پر جو روڈ کنیکٹِویٹی ہے، ان کے لئے مارگن ٹاپ کا ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی برف کے نیچے دب جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر ایک بسمینہ ٹنل بنائے جائے، تاکہ ان کو ایکسس ہو۔ ابھی تو شروعات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ **Jammu and Kashmir is the crown of the Country. So please allow me to speak (Interruptions)**

جناب، ہونا یہ چاہئیے کہ ہم ایک ایسا سروے کریں، جس سروے میں ہمیں انڈیا ملے۔ ہمیں جس سے یہ انفارمیشن ملے، جو بھی ٹرائبلس ہیں، کیا یہ جو افرمیٹیو ایکشن پلانس اور پروگرامس ہیں، کیا ہم ان 75 سالوں میں ان کو یہ لیوِل پلیئنگ فیلڈ دے پائے ہیں؟ اگر وہ کمیونیٹیز ہیں، جن کو ہم نے پہلے ہی اینلِسٹ کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ہم کسی کے اینلسٹ کرنے کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ سرکار کا کام ہے۔ وہ سروے کرکے آبجیکٹیو فیئر اور جو بھی پریسکرائبڈ کرائیٹیریا ہے، اس کو اینلِسٹ کریں اور اس میں شامل کریں۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ جو کمیونیٹیز پہلے ہی ایس۔ٹیز قرار دی گئی ہیں، کیا ان کو وہ ایکسس ہے؟ میں نے یہ مثال کے طور پر مارواہ ۔ واڑبن کی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بجلی خراب ہو گئی ہے۔ سال 2022 میں بھی 40000 لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ اب کیا کوشش کی جارہی ہیں۔ جو سیاسی اختلافات ہیں، اس کو ایس۔ٹی۔ کیا جائے۔ لیکن ان کو اس سے محروم رکھا جائے۔

جناب، میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک سروے کیا جائے۔ ایک تفصیلی سروے کیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس کمیونیٹیز کے کتنے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ سینسس کیا جائے اور اس کے جو نتائج ملیں، اس کے بعد آپ ان کمیونیٹیز سے پوچھئیے کہ کیا کوشش کرے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کمیونیٹی کا سارا سینسس منظرِ عام پر لایا جائے، خاص کر ایس۔ٹی۔ کمیونیٹی کا لایا جائے، جو آلریڈی اینلِسٹ کی جارہی ہیں۔

[(ختم شد)]

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, thank you for the opportunity to express my views on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill.

I wish to submit a key representation regarding the non-implementation of the reservation policy by various Central Government Departments and organizations while engaging the contractual labour or outsourced manpower. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, which is headed by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, on 5th May 2018 issued an executive order directing as under: -

> "In respect of appointments to Central Government posts and services, there shall be a reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class candidates in temporary appointments which are to last for 45 days or more."

I appreciate the decision taken by our hon. Prime Minister in the interest of SC/ST and OBC population of our country. In the year 2018, there were 11,788,78 employees working under the Central sphere whereas in 2021, it has increased to 24, 30,000. However, as per reply to various RTI applications, there is a clear indication that the reservation policy for contractual or outsourced manpower is not being followed by various Departments, Ministries and institutions of the Central Government. It may be because of the officials who are either unaware of the 2018 Government Office Memorandum or they have failed to implement it appropriately.

As per the Office Memorandum of the Department of Personnel and Training, autonomous bodies/institutions, including co-operative institutions, universities, etc., under the control of the Government, are supposed to make reservation for SC/ST and OBC in their services on the lines of reservations in services under the Government.

Similarly, as per the information given by the University Grants Commission (UGC) to an RTI application, there is a clear indication that the universities receiving grants from the Government have very poor representation of SC/ST/OBC community.

Under these circumstances, I request the hon. Minister, through you, Sir, to ensure effective implementation of reservation policy in temporary employment under the Government. For this, the data of temporary employees, as required to be maintained as per the Government Office Memorandum, should be made online so as to ensure transparency and accountability.

My second request is that the Government should maintain category-wise data of employees employed in the private sector. For this, the Government may take suitable steps under the guidance of our hon. Prime Minister.

I conclude with this one point. I further request the Government to set up a Reservation Monitoring Committee for effective implementation of the reservation policy.

Also, in this Winter Session, our hon. Minister has brought five Constitution (Amendment) Bills relating to various States, particularly, to the State of Tamil Nadu so as to include the oldest communities in the Scheduled Tribe List. I thank the hon. Minister, and also our hon. Prime Minister for this. This Bill will ensure equality and justice to all. Thank you.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, I stand here to support the Bill. While congratulating the hon. Minister as he has included all these communities from Chhattisgarh, I would like to draw the attention of the hon. Minister, probably, to the greatest and very cruel political *jumla* that has so far been committed in India on the six OBC communities of Assam.

Sir, through you, I would like to remind the hon. Minister that the six OBC communities of Assam, namely, Tai Ahom, Koch Rajbongshi, Sootea, Moran, Muttock and the Adivasis, that is, the Tea Tribes of Assam, have been demanding the inclusion in the ST category.

<u>17.00 hrs</u>

These six communities enjoy very distinct ethnic identities, and they also have the tribal traits. I just want to mention that in the run up to the 2014 Lok Sabha elections, the then BJP stalwarts committed during the poll campaign that these six communities would be given the tribal status. After the BJP Government was formed in Delhi under the leadership of the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi in 2014, no progress has happened so much so that an all-party Assam Assembly delegation came to Delhi and submitted a memorandum on 11th November, 2014 to the then Tribal Affairs Minister, Shri Jual Oram, who is your predecessor, asking and pleading that these communities should be given tribal status. After that, every time an election comes – Assembly election or Lok Sabha election – the BJP leaders go to Assam and promise these communities, but nothing happens. I would just like to mention that when the Assam Assembly elections took place in 2016, the BJP circulated a vision document wherein it was very specifically written that '…. close cooperation with the Central Government towards providing ST status to the six communities in a strict time-bound manner…..' The BJP formed the Government in Assam after the 2016 Assembly elections. The present day Cabinet Minister, hon. Shri Sarbananda Sonowal, became the Chief Minister of Assam, but nothing happened. Again, during the height of the anti-CAA movement in Assam in 2019, just to divide the people, the Central Government decided and asked the Assam Government to form a Group of Ministers. This Group of Ministers was asked to give an immediate report for inclusion of these communities.

The Group of Ministers was headed by the present Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma. Sir, the irony continues. These six communities have not been given the ST status so much so that the hon. present Minister, Mundaji, went to Assam – I can quote the date – on 12th September, 2021. He himself had assured and promised the people of Assam that these six communities would be given the ST status once the Group of Ministers submitted the report. We do not know the status of that report of the Group of Ministers. In the present BJP Government in Assam, we do not know what the status of that report of Group of Ministers is, but the cruel joke continues, the cruel hoax continues on these six communities.

Sir, nine years have elapsed since 2014, but this cruelty continues and this political *jumla* continues and is perpetuated on these six OBC communities of Assam.

I would like to appeal to the Government to please have a heart and please fulfil their political commitment and bring these six communities to the fold of the Scheduled Tribes.

Thank you.

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे जनजातीय समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया है। साथ ही, मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी और श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से से चुनकर आई हूं, वह छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी राज्य है, जहां बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों की बसावट है।

राज्य की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत हिस्सा आदिवासियों का ही है। इनमें से 5 आदिवासियों को केंद्र सरकार ने अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने दो जनजातियों को अति पिछड़ी माना है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के कई जातीय समुदाय आदिवासी होने के बाद भी केवल जाति के नाम पर मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। जनजाति समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले इस संशोधन विधेयक से मात्रा की त्रुटि के कारण अपने अधिकार से वंचित 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों को हक मिल सकेगा।

महोदय, मैं एक वनवासी बाहुल्य क्षेत्र की सांसद हूँ। आज इस संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और ऐसी 12 जनजातियाँ हैं। जनजाति समुदाय के लोग जल्दी नहीं मांगते हैं। मैं अध्यात्म की ओर उदाहरण दूंगी कि भगवान शंकर जी भी वनवासी थे। उन्हीं के वंशज आदिवासी समुदाय के लोग हैं। वे जल्दी नहीं मांगते हैं। उनका दूसरा उदाहरण यह है कि भगवान बिरसा मुण्डा को आदिवासी भगवान इसलिए मानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुशासन चलाने के खिलाफ आंदोलन खड़े करने वाले बिरसा मुण्डा जैसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अगर वे अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो पूरा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। आज इस बिल के माध्यम से मेरे क्षेत्र के भारिया, भूमिया, धनुहार, सवरा एवं विशेषकर नगेसिया समाज के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। जब से संविधान में आरक्षण का प्रावधान हुआ है, ये समाज तब से लेकर आज तक मात्रा त्रुटि अथवा अन्य कारणों से आरक्षण के लाभ से वंचित हैं।

महोदय, इस विधेयक के पारित होने से उनके जीवन में कितनी खुशहाली आयेगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इन जाति के समुदायों के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें सरकार की अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। छात्रवृति, रियायती ऋण अनुदान, जनजातियों के बालक-बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा मिलेगी। वहीं सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। इन संस्थानों में आरक्षण का प्रश्न केवल शिक्षा, रोजगार, सक्षमीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज यह विषय अपने अस्तित्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। आदिवासी मूलतः प्राकृतिक उपासक हैं, जो जल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत एवं मातृभूमि को अपना देवता मानने वाला समुदाय है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरस्थ वनों में रहने वाले सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अतः अंत में मैं भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि वे भारिया, भूमिया, धनुहार, नगेसिया एवं अन्य समाज के लोगों के लिए संशोधन विधेयक लाए हैं। इन सभी समाज की ओर से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रस्तावित संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं।

महोदय, वर्तमान में कुछ और जनजातियां हैं, जिनको मात्रा की त्रुटि के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि उन जनजातियों के लिए कार्य किया जाए। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट भी करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ी कोरवा जनजाति निवास करती है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त है। यह कोरवा जनजाति दो भागों में बंटी हुई है। एक पहाड़ी कोरवा है और दूसरी डीहारी कोरवा है। … (व्यवधान) महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। पहाड़ी कोरवा को तो आरक्षण की सभी सुविधाएं प्राप्त है, किंतु डीहारी कोरवा अभी भी इस लाभ से वंचित है। उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं एक और विषय के बारे में कहना चाहती हूं। वहां रहने वाले पहाड़ी कोरबा लोग ही हैं। कुछ कारणवश जाति में बघेल एवं क्षत्रिय लिखने के कारण उनको पहाड़ी कोरबा का दर्जा नहीं मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। उनको भी आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय, आज छतीसगढ़ के हमारे माननीय सांसद साथी ने कहा है कि एक आदिवासी बेटी संवैधानिक पद पर बैठी है। उन्होंने आदिवासी बेटियों का मान-सम्मान एवं गौरव बढ़ाया है। आज अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने के लिए उन्होंने उनके ऊपर गंभीर लांछन लगाए हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री दीपक बैज (बस्तर): सभापति महोदय, दस्तख्त करा लीजिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: She is not yielding.

… (*Interruptions*)

श्रीमती गोमती साय : आप लोग उसको क्यों सहन नहीं कर रहे हैं?…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You address the Chair.

… (व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय : 58 प्रतिशत का केस अदालत में लगा हुआ है...(व्यवधान) अदालत में सही ढंग से दलील नहीं देने के कारण...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Francisco Sardinha.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I thank you for giving me this opportunity. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Francisco's speech.

*… (Interruptions) …**

SHRI FRANCISCO SARDINHA: While supporting this Bill, I would like to request certain things as far as my State is concerned. … (*Interruptions*) I would like to request certain things. Goa is a small State. … (*Interruptions*)

श्री दीपक बैज : आप जाकर दस्तख्त करा लीजिए...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Deepak, please sit.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA: Goa is a small State and even rural areas are urbanised. We have four communities which are tribal. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Do not yield.

*… (Interruptions) …**

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA: There are four communities which are tribal, namely, Kunbi, Velip, Gowda, and Dhangar. The first three communities have been included in the list of Scheduled Tribes. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA: The three communities have already been included in the list of Scheduled Tribes, and they have come up now economically and socially. We have got Dhangars who are totally in the remote areas and they are nomads. They live on the hills and they have got animals, like goats and cow. They thrive only on them. During rainy reason, they take them from one place to another for grazing, and they totally thrive on this. So, that is the most backward community amongst these. They are not included in the list of Scheduled Tribes. They are OBCs. One of my colleagues from Maharashtra also spoke about Dhangars. So, I would request the hon. Minister this. This is pending for the last ten years with the Government. Many times, our Government has written to include Dhangars in the list of Scheduled Tribes. Please do justice and see that their status also comes up like others both socially and economically.

Thank you, Sir.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, आज आदरणीय जनजातीय कार्य मंत्री जी के द्वारा संसद में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है। मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति, आज इस सदन में एक पुनित कार्य होने जा रहा है। श्रद्धेय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा जी, एवं श्रीमती रेणुका सिंह जी के प्रति उन पीड़ित समस्त पीड़ित जनजातियों की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। उनमें से एक है – सावरा, अर्थात सबर जनजाति। त्रेता युग, रामायण काल के माता शबरी के ये वंशज हैं, जिनकी अगाध श्रद्धा भक्ति से प्रभु श्री राम छतीसगढ़ आए। उनके जूठे बेर ग्रहण किए। आदिकाल से प्रमाणित की जाती है कि वह जनजाति है। जिस स्थान पर माता शबरी का आश्रम रहा, उसको आज भी शिवरीनारायण कहा जाता है, जो कि सबरीनारायण है। उसको अपभ्रंश के कारण शिवरीनाराण कहा जाता है।

उसी प्रकार से, इसमें अपभ्रंश हुआ और इसके कारण इनको 20-25 साल तक परेशानी झेलनी पड़ी। जिस प्रकार से, रामायण काल में सांवरा जनजाति का उदाहरण मिला है, उसी प्रकार से एक और उदाहरण है। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो उसमें प्रभु श्रीराम ने तीर से बाली का वध किया। उसी समय बाली ने प्रभु श्रीराम को श्राप दिया कि युद्ध में बिना सूचना के आपने मेरे ऊपर तीर चलाया, इसलिए अगले जन्म में आपके ऊपर भी बिना सूचना के तीर चलेगा। उसे प्रभु श्रीराम ने ग्रहण किया। द्वापर युग में, महाभारत काल में वे श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिये। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण वन में एकांत में निवास कर रहे थे, उसी समय जिस वनवासी ने उनके ऊपर मृग होने के भ्रम में तीर चलाया, वह जरा नाम का आदिवासी भी सबर जाति का था। जब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्यागी और उनका दाह संस्कार किया गया, तो उनके अवशेष को नदी में बहाया गया। उनका अवशेष बहकर ओडिशा के तट की ओर चला गया। वहाँ विश्वबसु नामक एक वनवासी को वह अवशेष मिला। उस अवशेष को, विश्वबसु नाम का व्यक्ति, जो जनजाति समुदाय का, सबर जाति का था, उसे अपने घर में ले गया और भगवान के अवशेष को, जिसमें आत्मा थी, उसकी पूजा करने लगा। इस बात की जानकारी वहाँ के महाराजा को मिली और महाराजा ने कैसे भी करके विश्वबसु के पास से भगवान श्रीकृष्ण के अवशेष को ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में स्थापित किया, जिसे हम महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जो प्रति वर्ष मनायी जाती है।

HON. CHAIRPERSON: Please complete the subject and come to the Bill.

श्री चुन्नीलाल साहू : यात्रा में जो रस्सी खींचते हैं, वे भी सबर जाति के ही होते हैं, इसलिए मैं सबर जाति का उल्लेख करना चाहता हूँ। आज इस पवित्र सदन के माध्यम से ऐसे सबर जाति का कल्याण होने जा रहा है।

इसी सदन के माध्यम से आज ऐसे पीड़ित जनजातियों का कल्याण होने जा रहा है, जो खास करके छत्तीसगढ़, ओडिशा के सीमांत प्रांतों में रहते हैं और वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, जो एक अलग भाषा है, जिसे वहाँ की भाषा में लरिया कहा जाता है, उसी भाषा के कारण, उसी भाषा में उच्चारण भिन्न होने के कारण आज इन जातियों को पीड़ा झेलनी पड़ी है। जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के समय उस राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा समझ न पाने के कारण जो भ्रांति हुई, जो स्पेलिंग-त्रुटि हुई, उसके कारण उनको 18 वर्षों से कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं।

सबर जनजाति बहुत ही कम पढ़े-लिखे हैं और वे खेतिहर मजदूर हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती-मजदूरी है। ये लोग उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। इनके बच्चे 18 वर्षों से प्राइमरी शिक्षा तो ग्रहण कर पा रहे थे, लेकिन जाति प्रमाणपत्र जारी न होने के कारण इनके बच्चे आरक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। आज इस सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय जनजाति कल्याण मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वर्ष 2013-14 के अनुपात में, जो 211 करोड़ रुपए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति थी, उसको दोगुना बढ़ाकर 419 करोड़ रुपए किया गया है। आज इस छात्रवृत्ति के कारण इन जनजातियों के लोग लाभांवित होंगे, इनके बच्चे पढ़ पाएंगे। ऐसे पुनीत अवसर पर, एक ऐसे समय पर, आज हम निरंतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, आज हम उसमें सहभागी हुए हैं। इसलिए मैं एक बार पुन: श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन 12 जनजातियों को, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों से कठिनाइयाँ झेली हैं, आज उनको न्याय मिला है।

माननीय सदस्य ने जो कहा कि एक कमार जनजाति है, जिसे विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा प्राप्त है। वह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के गोंडल वाला क्षेत्र है, गरियाबंद जिले में, ऐसे कमार जनजातियों के लिए, उनकी जीविका के लिए, क्योंकि वे बाँस पर कलाकारी करके अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे अति पिछड़े कमार जनजातियों के लिए भी आजीविका का कोई उपाय किया जाए ताकि उस जनजाति को लाभ मिले।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, सबसे पहले मैं यह कहूंगा 'सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया'। … (व्यवधान) आज यहां जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। … (व्यवधान) कई दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि अर्जुन राज चल रहा है। … (व्यवधान) एक के बाद एक बिल आता है और अर्जुन जी यहां हम सबको संबोधित करते हैं। … (व्यवधान) इतने सालों से वे सदन में हैं, लेकिन कभी इतने सारे बिल्स एक साथ हमने नहीं देखे । … (व्यवधान)

सर, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के पास ज्यादा बिजनेस नहीं रहा होगा, इसलिए इसी पर चर्चा किए जा रहे हैं। मैं इससे आपत्ति नहीं जताता हूं, हमें भी खुशी है। इधर अर्जुन हैं, उधर अर्जुन हैं और बीच में हम बैठे हैं। … (व्यवधान) दोनों तरफ अर्जुन हैं। आप देखिए, महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, यहां दोनों अर्जुन का लक्ष्य मोदी जी को खुश करना है, यह भी मैं जानता हूं।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि ये सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, जिसमें बिंझिया वैली के बिंझिया ट्राइब को शामिल किया गया है, इसे वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार ने, छत्तीसगढ़ में तत्कालीन जो बीजेपी की सरकार थी, उसको यह सलाह दी थी, लेकिन उस समय यह

नहीं हो पाया। इसके साथ-साथ 32 परसेंट रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, यह आज की बात नहीं है। वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जनजाति है, वह काफी दिनों से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है।

देखिए, सदन को गुमराह करना न आपके लिए उचित है, न हमारे लिए उचित है। सितंबर, 2022 में हाई-कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद, मैं आपको याद दिला दूं कि दिसंबर, 2022 मतलब इसी साल के दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने बिल पास कराकर गवर्नर के पास भेज दिया है कि 32 परसेंट रिजर्वेशन रखा जाए। … (व्यवधान) देखिए, इस 32 परसेंट रिजर्वेशन की जो बात है, इसे सूबे की सरकार मानती है, लेकिन गवर्नर नहीं मानते हैं। … (व्यवधान) गवर्नर इनको वापस करते हैं, वे नहीं मानते हैं। आपकी सरकार अगर गवर्नर के ऊपर दबाव डाले कि आप इसको मान लो, तो गवर्नर भी मानने के लिए तैयार होंगे। … (व्यवधान)

सर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन हो रहा है। … (व्यवधान) छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में काबिज भूमि का आदिवासियों और परंपरागत निवासियों को अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। निरस्त दावों की पुन: समीक्षा करके वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए जा रहे हैं। … (व्यवधान) आप यह सुन लीजिए। … (व्यवधान) राज्यों में 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 3,70,275 हैक्टेयर भूमि दी गई है। … (व्यवधान)

महोदय, सामुदायिक वन अधिकार मान्यता के अंतर्गत 45847 पत्र वितरित किए गए है, जिसके तहत 1983308 हेक्टेयर भूमि प्रदाय की गई है। आप पता कर लीजिए 3731 ग्रामीण सभाओं की सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी कर 1532316 हेक्टेयर भूमि का अधिकार सौंपा गया है… (व्यवधान) राज्य में वन अधिकार मान्यता पत्र के अंतर्गत आबंटित भूमि 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का जरिया बन गई है। सामुदायिक वन अधिकार एवं वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त भूमि पर फलादार वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया गया है। आप स्वयं पता कर लीजिए, अधिकृत भूमि को वापस भी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आने लगा है। बस्तर के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के दस गांवों में एक निजी इस्पात संयंत्र के लिए 1707 किसानों से अधिग्रहित 4200 एकड़ जमीन वापस की गई है। आप बताएं कि यह सही है या गलत? … (व्यवधान)

सभापति जी, आदिवासियों के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। आज यहां झारखंड के नेता भी हैं। वर्ष 2010 में झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड में जब आदिवासियों की जमीन छीनी गई थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, क्या उसके बारे में यहां झारखंड के नेता कुछ कहेंगे? झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी ने हजारों फर्जी केस दर्ज किए थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सत्ता में आने के बाद सारे केस वापस ले लिए। उन आदिवासियों के खिलाफ देश द्रोह के केस भी लगाए गए हैं। तेंदू पत्ता संग्रहण दर में वृद्धि एवं खरीदी और उनकी आय बढ़ाने के लिए तेंदू पत्ता संग्रहण की राशि ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति माह किया गया है। इस फैसले के कारण वर्ष 2020 में 13.51 लाख परिवारों को 145.79 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। देवगुड़िया का विकास हुआ है। अर्जुन मुंडा जी जरूर जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत कुल 18,95,10,527 रुपये राशि प्रावधानित थी, जब कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत 21,49,23,4000 रुपये राशि प्रावधानित है। इस प्रकार इस मद में पिछले चार वर्षों में 25421873 रुपये की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का विकास इस रफ्तार से हो रहा है। मैं पतालगढ़ी मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अर्जुन मुंडा जी को आज से नहीं शुरू से बंगाल के एक मुद्दे के लिए बार-बार गुहार लगा रहा हूं कि कुर्मी समाज को एसटी में दर्जा दिया जाए। आज तक गुहार लगाने के बाद कोई काम नहीं हुआ है।

However, the Kurmi (or Kudmi) are one of the most primitive tribes of India's old Chhotanagpur region as well as the State of West Bengal, especially in the Jangal Mahal region. The Kurmi/Kudmi were analysed as "Kudmis of Woods" or "Jhari Kurmi". In the British census of 1872, produced in support of the report on the census of Bengal, 1872, by H. Beverly, Inspector-General of Registration, Bengal describes, "Colonel Dalton mentions some Jhari Kurmis, or Kurmis of the woods, in Chhotanagpur, who are said to worship strange gods." "In the province of Chhotanagpur, the ancestors of the people now known as Kurmis appear to have obtained their footing among the aboriginal tribes at a very remote period," Edward T. Dalton writes in Descriptive Ethnology of Bengal, 1872.

Further, in 1911-1921, they were again classified as an "Aboriginal Tribe" by the Census of India 1911, Volume V, Bihar, Odisha, and Sikkim, Part I, which describes: "The Kurmi and Kudmi are two great cultivating castes of Bihar, but the latter is also the name of an aboriginal tribe in Chhotanagpur and the Orissa State..."

Then, in "Animist" in 1921, "Primitive" in 1931, produced with the support of the Census of India, 1931, Vol. VI, Bihar and Orissa, Part II, W.G. Lacey mentioned: "The All India Kurmi-Kshatriya Association took up the cudgels on behalf of the Kurmi Mahato, and stoutly affirmed that they and the Kurmi-Kshatriyas of the Western Provinces are the same, proofs of which, if necessary, can be produced before the Government.... "

In Volume-V (II) of his Linguistic Survey of India, Sir George A. Grierson writes that the Kurmis of Chhotanagpur "are an aboriginal tribe of Dravidian stock."

It is also mentionable that, as per the declaration of Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, in Parliament, and as per the Government of India Order, SRO 510 dated September 6, 1950, and 2/38/50 Public, dated October 5, 1950, "Only those who were in the list of primitive tribes in the Census Report of 1931" were to be inducted in the list of Scheduled Tribes."

They have been classified as Tribal Hindus in 1941 by anthropological survey in British India, "it is suffice to say that their caste in unison of language, religion, culture, rights, ritual, fairs and festivals still continues until today by its own customs, culture and tradition". हम आपसे यह मांग करते हैं कि आप और कितने दिन इस बात को टालते रहेंगे? यह मानने में आपको क्या हर्ज है? The Minister of Tribal Affairs and the Government of India say that it is under process in dealing with discrepancies among the caste identity of the Kurmi Kudmi by demolishing the caste entity of language, religion, culture, customs and so on leaving no column in the forthcoming census 2021.

HON. CHAIRPERSON: Please sum up your speech.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सेंसस में इनको क्यों शामिल नहीं किया गया?

सर, शुरू के दिन से जब यह बिल इंट्रोड्यूज हुआ था, तब भी हमारा यह तर्क था कि एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। अर्जुन मुंडा जी शुरू में ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, वगैरह-वगैरह। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज आप रिजर्वेशन के जरिए एमएलए बने, एमएलए के चलते बाद में मुख्य मंत्री बने। आज आप रिजर्वेशन के चलते एमपी बने, एमपी के चलते आप मंत्री बने। यह बीजेपी सरकार का दान है या कांग्रेस सरकार का, यह आप बताएं कि दान किसका है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी की पैरवी करते हैं, वह पार्टी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोलती, बल्कि रिजर्वेशन की खिलाफत करती है। आदिवासियों के लिए ये घड़ियाली आंसू निकालते हैं। आखिर अर्जुन मुंडा जी हिन्दुस्तान के गृह मंत्री क्यों नहीं बन सकते? हम चाहते हैं कि वह हमारे देश के गृह मंत्री बनें। क्या इनकी हिम्मत है? यह हमारे महामहिम को राष्ट्रपति बनाते हैं और बनाने के बाद दुनिया भर में प्रचार करते हैं कि देखो, हमने एसटी कम्यूनिटी से महामहिम बना दिया। महामहिम बनना कोई भीख नहीं, कोई दान नहीं है। क्या यह उनकी काबिलियत नहीं है? उनकी काबिलियत पर बात नहीं होती, बल्कि बात यह होती है कि हमने दान दिया है, भीख दी है। इस तरह के नजरिए को बदलना चाहिए। महोदय, मैं अर्जुन मुंडा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि between January and June 2022, over 60 tribal protestors in Dhinkia village of Jagatsinghpur district of Odisha had been arrested for their opposition to the steel plant. सही है या गलत, यह आप बताएं। Tribals are also disproportionately represented in prison comprising 13 per cent of convicts, and 10 per cent of undertrials, even though they make up only 8.7 per cent of total population of the country. क्या उनके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे? Crimes against Scheduled Tribes community climbed by 9.3 per cent to 8,272 cases in 2020. According to National Crime Records Bureau, in 2021, the figure increased by 6.4 per cent to 8,802 cases. The number of crimes against ST communities under SC/ST Prevention of Atrocities Act stands even higher at 9,142. Judicial pendency rate of cases under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes stood at 96.5 per cent. Violence against Adivasi women has also risen. Women from Scheduled Tribes community account for 15 per cent out of total cases of violence against women. यह मेरी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

A series of incidents are recorded in various parts of the country where the citizens from north-eastern region were harassed, assaulted and traumatised owing to their appearances. फॉरेस्ट एक्ट हमने किया कि नहीं किया? फॉरेस्ट एक्ट किस तरह से लागू किया, सब जानते हैं। क्या कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया? आपने क्या किया?

Among the twenty states for which the Ministry of Tribal Affairs provided data, the BJP ruled States like Bihar, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Goa were the worst performers. तब थे, अब नहीं। Bihar had distributed mere 122 titles to its people between March 2009. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इतनी जल्दबाजी करने से कैसे होगा? हर दिन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात होती है।

महोदय, मैं यह कहता हूँ कि केन्द्रीय बजट वर्ष 2021-22 को देखा जाए। The Government plans to establish 750 Ekalavya Model Residential Schools. However, there are serious questions raised regarding budget allocation for the same. The MoTA itself aims to open 462 schools by 2022. As noted by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment's report, in 2021, only 285 EMR Schools were functional while 588 were sanctioned. As of March, 2022, the number of functional schools stands at 375 when the number of sanctioned schools is 652. हम चाहते हैं कि ट्राइब सब-प्लान का जो पैसा आता है, उसे नॉन लैप्सेबल फंड में तब्दील किया जाए। क्या आप ऐसा करते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं?… (व्यवधान) प्लानिंग कमीशन नहीं है तो इन लोगों को सोचना चाहिए।… (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्टैंडिंग कमेटी की माँग थी।… (व्यवधान) आप खुद बताइए कि आपने कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स छात्रों को विदेश भेजा है? The Modi Government's boost for privatisation is jeopardising reservation. Public sector units are a prominent source of employment, and are mandated to follow the reservation rule. But the rapid and ill-thought privatisation of these units will also lead to scuttling of reservation. आप रिजर्वेशन कहाँ दोगे और जिस पार्टी के लिए आप यहाँ लड़ रहे हैं, वह पार्टी खुद रिजर्वेशन का विरोध करती है। आप इस पार्टी की आइडियोलॉजी देखिए। आप ...* की राय सुनिए।… (व्यवधान) वे नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में रिजर्वेशन चले।… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, ये नाम ले रहे हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The name will be deleted from the record.

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : उनका कहना है कि रिजर्वेशन के बारे में नये सिरे से चर्चा करनी चाहिए… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आप…** बोल रहे हो… (व्यवधान) आप…** क्यों बोल रहे हो? … (व्यवधान) ऐसा उन्होंने कब कहा? … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वर्ष 2015 और वर्ष 2019 में उन्होंने रिजर्वेशन के विषय में विरोध करते हुए यह कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : उन्होंने तो उल्टा यह कहा कि जब तक समाज में असमानता है तब तक रिजर्वेशन की परम्परा जारी रहेगी… (व्यवधान) उन्होंने विज्ञान भवन में यह कहा है… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं एक छोटा सा सवाल उठाता हूँ… (व्यवधान) हिन्दुस्तान में हजारों साल से आदिवासी हैं… (व्यवधान) क्या उनमें से कोई एक शंकराचार्य है, जो आदिवासी हैं… (व्यवधान) क्या कोई किसी बड़े मंदिर का पुजारी है, जो आदिवासी हो? … (व्यवधान) राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, क्या उसमें कोई आदिवासी है? … (व्यवधान) आप बताइए… (व्यवधान) आदिवासी के लिए घड़ियाली आँसू बंद होने चाहिए… (व्यवधान) हमारे आदिवासी भाई-बहनों के लिए सही दिशा में काम हो, जैसे निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिए हैं… (व्यवधान) हम इस बिल का समर्थन करते हैं… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rahul Shewale, your party has already exceeded the time limit. In spite of that you are being permitted to speak for one minute.

राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपनी पार्टी, बाला साहेब की शिवसेना, की ओर से ग्रुप लीडर के नाते आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सदस्य राजेन्द्र गावित ने जो भूमिका रखी, उस भूमिका से पार्टी असहमत है। हमारी पार्टी के प्रमुख महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस साहब की यही भूमिका है कि धनगर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। धनगर समाज को आरक्षण मिलने के लिए राज्य सरकार पूरे धनगर समाज के पीछे है। हमारी यह भी भूमिका है कि आदिवासी समाज के आरक्षण के ऊपर कुछ असर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। धनगर समाज को न्याय देते हुए आदिवासी समाज के साथ भी अन्याय नहीं होनी चाहिए। यह भूमिका राज्य सरकार की है। एक गलत मैसेज महाराष्ट्र में जा सकता था, इसके लिए मैं बाला साहेब की शिवसेना पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहा हूं। धनगर समाज के लिए जो-जो प्रयास करने चाहिए, राज्य सरकार के माध्यम से वे सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

मैं केंद्र सरकार से, माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि धनगर समाज को आरक्षण देने के लिए आप पूरा प्रयत्न कीजिए।

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, अभी झारखंड का जिक्र आया, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूज है। पत्थलगड़ी का जो आंदोलन था, वे कह रहे थे कि आदिवासी कहीं से आए। यदि इनके नेता कहते हैं कि वह आदिवासी हैं और आदिवासी यहां के परमानेंट बाशिंदे हैं, तो आदिवासी और वनवासी की परिभाषा पहले कांग्रेस को समझनी चाहिए। उनके नेता कुछ कह रहे हैं और उनके लीडर कुछ और कह रहे हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन यह था कि आदिवासी कहीं बाहर से आए और जब से बाहर से आए, तो उन्होंने पत्थर लगाया हुआ था।

दूसरा, मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि मैं जिस इलाके से आता हूं, आज ही अखबार में आया है, मैं लगातार ये बातें कह रहा हूं, कि मेरे इलाके में वर्ष 1901 में आदिवासियों की पॉपुलेशन 35 प्रतिशत थी और मुसलमानों की पॉपुलेशन 9 परसेंट थी। आज वर्ष 2022 में आदिवासियों की पॉपुलेशन 24 परसेंट है और मुसलमानों की पॉपुलेशन 35 परसेंट है। यह मैं पूरे देश को समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे हिन्दू, मुसलमान, आदिवासी से लेना-देना नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो आज का कानून कहता है कि यदि आप इस तरह से धर्म परिवर्तन करेंगे, यदि किसी इलाके की डेमोग्राफी बदलेगी तो उसके रिजर्वेशन के ऊपर आपने कभी सोचा है, क्योंकि इस कारण से हमारे यहां डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। पूरे देश में डीलिमिटेशन हो गया और झारखंड में नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी एक आदिवासी की सीट लोक सभा की और तीन आदिवासी की सीट विधान सभा की घट रही है। आदिवासियों की पॉपुलेशन जो घट रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?

तीसरा, हमने किसी को भीख नहीं दी है। यह कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता और उनके बेटे का उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जूता उठाया, उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी और बिहार के मुख्य मंत्री ने भी। मैं वर्ष 1975-76 की बात कर रहा हूं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारे फोटोग्राफ्स हैं और चाहे वह नारायण दत्त तिवारी हो या जगन्नाथ… (व्यवधान) आप लोगों को भीख देते हैं। आप लोगों को गरीब बनाते हैं। हमने उनको अधिकार दिया है और आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। वह अधिकार हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे एसटी बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कुर्मियों को इसमें सम्मिलित कर दो। राजस्थान में इनकी सरकार है। वहां ये कहते हैं कि हमने गुर्जरों के बारे में पत्र भारत सरकार को भेजा है और भारत सरकार स्पष्ट करती है कि हमारे यहां कोई ऐसा पेंडिंग नहीं है, जिसे नौंवी अनुसूची में डालकर एसटी में शामिल न किया जाए। ये कांग्रेसी बता दें, ये … * बोल रहे हैं, इन्होंने वहां से पत्र भेजा या नहीं भेजा… (व्यवधान) बाकी 56 परसेंट दूसरे पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार आदि हैं। क्या इन्हें अकेले कुर्मी चाहिए। राजस्थान में अगर इन्होंने नहीं किया तो 56 परसेंट लोग आने वाले समय

में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं देंगे। विपक्ष खत्म हो जाएगा और हम भी कमजोर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, जिससे ये अपनी बात न चला पाएं। राजेश पायलट गुर्जरों का भगवान था। उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट को मुख्य मंत्री नहीं बना रहे। राजस्थान के लिए मैं मांग करता हूँ कि तुंरत राजस्थान के गुर्जरों को नौंवी अनुसूची में डालकर एसटी में डाला जाए और गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्य मंत्री बनाया जाए, नहीं तो विपक्ष को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा... (व्यवधान)

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ को देने वाले, एक पृथक् राज्य बनाने वाले, आज पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सभी स्मरण करते हैं। वास्तव में जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे, किन्तु आज छत्तीसगढ़ विकसित हुआ और जब पूर्व में जो सरकार थी तो उन्होंने सब प्रकार से छत्तीसगढ़ की चिंता की तथा इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। वहां चाहे नई राजधानी हो, सरगुजा से बस्तर तक का विकास हो, वहां विवेकानन्द जी पर एयरपोर्ट का नाम पड़ा है और सरोवर में जो विवेकानंद जी का स्टैच्यू है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि स्वामी विवेकानन्द जी को जन्म के बाद प्रथम ध्यान कहीं लगा तो वह छत्तीसगढ़ में लगा। जब वे वनवासी क्षेत्र से गुजरते हुए चिल्फी घाटी से उतरकर रायपुर की ओर आ रहे थे तो वहां की भ्रमर मंजरियों को देखकर, वहां के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर, वहां के साल के विशाल वृक्षों को देखकर उनको यदि ध्यान लगा तो सबसे पहले चिल्फी घाटी में लगा।

महोदय, यह वीर नारायण सिंह की धरती है, जिन्होंने अन्याय के विरोध में और गरीबों को अन्न बाँटने के लिए विद्रोह कर दिया और जिसे रायपुर में फांसी दी गई, वह आदिवासी थे। अगर आदिवासी को न्याय कहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मिला।

महोदय, आज कांग्रेस के लोग वहां के राज्यपाल का अपमान करते हैं। राज्यपाल जो कि आदिवासी हैं। अधीर रंजन जी ने सब प्रकार से राष्ट्रपति जी के विषय में भी टिप्पणी की थी और बाद में सब प्रकार से अपनी बातों को वापस लिया था। यह आदिवासी की बात कहने वाले... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, एक मिनट रुकिये।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

... (व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Sir. I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

17.45 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, the makers of the Constitution… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह संसद है।

... (व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Sir, I rise to support the Bill. The makers of the Constitution laid emphasis on equality amongst the citizens.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको बैठे-बैठे बोलने की कोई तकलीफ है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हिना गावीत जी आप बोलिए।

... (व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: The Constitution of India provides for reservation to enable the disadvantaged groups to come on the same platform as that of the forward communities.

Sir, under Article 342, for a group to be included in the list of Scheduled Tribes, the Government of India has recommended broad parameters, namely, primitive traits, distinct culture, geographical isolation, distinct dialect, animism, subsistence economy, shyness of contact with outside world, and backwardness.

In various States, different communities are giving representations to the Government, stating that there are typing mistakes in the name of a particular Scheduled Tribe, and are requesting the Government to replace a single character in the name. They also request the Government to state them as synonym to a particular tribe which is there in the list of Scheduled Tribes. The representation and request of such communities though look very small – replacement of only one character in the name or to consider them synonym to a particular Scheduled Tribe community – the said correction or replacement can seriously affect the constitutional rights and safeguards of the genuine Scheduled Tribes.

In response to such representations from different communities, various criteria have been laid down for the inclusion of any community in the list of Scheduled Tribes. In majority of the cases, it is seen that there are no social, cultural or marital relations between the demanding communities and the particular Scheduled Tribe. The communities which do not fulfil the criteria of Scheduled Tribes, should not be included in the list of Scheduled Tribes. Also, a particular entry in the list cannot be corrected by replacing a character, as expected by the demanding community, in a casual manner without ethnographic study of the demanding community.

Sir, I urge upon the Government that the inclusion of any tribe or group into the list of Scheduled Tribes should be purely based on the characteristics of that community, and no inclusion should be made under any political pressure.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, सदन का समय माननीय मंत्री जी के जवाब और शून्य काल के लिस्टेड सदस्यों के बोलने तक बढ़ाए जाने से क्या सदन सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदय।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुमान सिंह दामोर। आपको एक मिनट बोलने का समय दिया जाता है।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मैं आज इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जनजातियों का गौरव जागा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। परंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके योगदान को पूरी तरह से दफना दिया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवान बिरसा मुण्डा का स्मारक हो, टांटिया भील का स्मारक हो, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान के मानगढ़ में जा कर भील जनजाति का गौरव बढ़ाया है। इस प्रकार से जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है, वह आज तक किसी और सरकार ने नहीं दिया है। चाहे वह प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधान मंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जिनके कारण जनजातीय समाज लाभान्वित हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में पेसा एक्ट लागू किया। पेसा एक्ट लागू करने के कारण आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज जल, जंगल और जमीन का मालिक बना हुआ है। वे 12 जाति समूह, जिनको आज इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ।

मैं आपके माध्यम से एक और बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। इसके ऊपर भी तत्काल रोक लगानी चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। यह मिलेट जनजातीय क्षेत्रों में ही पैदा होता है और उनका मुख्य भोजन है। आज पूरा विश्व मिलेट से परिचित होगा और इसका पूरा-पूरा फायदा जनजातीय समाज को मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में लगातार जनजातीय मामलों के विषय पर सार्थक चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में आज श्री दीपक बैज से लेकर माननीय सदस्य गुमान सिंह दामोर जी तक कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव, सहमति और वैसी जनजातीय समस्याओं को सदन के समक्ष लाया है, जो अत्यन्त गम्भीर हैं और आज के दिन उस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक भी है। इस सदन ने उस पर बहुत गम्भीरता से विचार भी किया है। इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उनमें श्री दीपक बैज जी, श्री अरूण साव जी, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. जी, श्री पिनाकी मिश्रा जी, श्री सुनील कुमार सोनी जी, श्री पी. रविन्द्रनाथ जी, श्री प्रद्युत बोरदोलोई जी, हमारे विपक्षी दल के माननीय वरिष्ठ नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी सहित सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सुझाव दिए हैं और कुछ मुद्दों को हमारे सामने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आज का जो संदर्भ है, आज का जो बिल है, वह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के वैसे 12 समुदाय, जो सिनोनिमस तरीके से, जो कई सूची में पहले से सम्मिलित हैं, लेकिन अब वे पर्यायवाची शब्द के रूप में सम्मिलित हुए हैं और एक नए एन्ट्री के रूप में भी शामिल किए गए हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अपना स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बात रखता हूं। भारत सरकार ने जो मानक तय किए **हैं**, वे पूरे देश के सभी ऐसी जनजातीय समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से जो मोडैलिटीज़ तय किए गए हैं, उनके आधार पर आज छत्तीसगढ़ राज्य का यह मामला सदन में विचारार्थ लाया गया है। इसके पहले इस सदन में कर्नाटक से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, हिमाचल प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे जनजातीय मामले, जो काफी वर्षों से उलझे हुए थे, उन्हें किया गया। माननीय पिनाकी मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे कि वर्ष 1978 से राज्य सरकार ने टी.आर.आई. के थ्रू रिपोर्ट सब्मिट किया है, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। वर्ष 1978 से यह समस्या उलझी हुई है, यह सबकी जानकारी में है। तब भी सदन था, आज भी सदन है और आगे भी सदन रहेगा। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर यह सवाल हमारे सामने उभर रहा है कि वर्ष 1978 से ऐसी समस्याओं के समाधान के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है। आज तो हम लगातार इस सदन में कई राज्यों के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय**,** मैं आपके सामने पूरी सूची रखना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले विचाराधीन हैं**,** उन सारे मामलों पर भारत सरकार और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार किस तरीके से गम्भीरता से विचार कर रही है।

यदि विचार नहीं करते, तो मैंने कल इस सदन में कहा था कि वैसे समुदाय जिनकी आबादी मात्र पाँच हजार है। कर्नाटक के बेट्टा-कुरूबा को न्याय मिले, इसलिए इस सदन में यह विषय चर्चा में लाया गया। इस देश को भी समझना चाहिए कि पाँच हजार लोगों पर भी यह सदन और नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार विचार कर रही है।

महोदय, इसके पहले नरिकुरूबन का मामला हुआ, जिसकी आबादी 27 हजार है। इसी सदन में नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के माध्यम से माननीय सदस्यों और हम सब ने चर्चा में भाग लिया तथा उसको पारित कराया। आज उसी तरीके से छतीसगढ़ के मामले हो रहे हैं। इस प्रकार हमारी नीयत साफ है। देश भर की जनजातियों की जो समस्या है, उसका समधान होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है। यह एक मंत्रालय नहीं है। इसको ट्राइबल अफेयर्स (जनजातीय मामले) कहा गया। इस पर एक होलिस्टिक एप्रोच होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। पूरे देश में बिखरे हुए जनजातीय समाज जो अपनी संस्कृति के लिए विख्यात हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की जो जीवंतता है, उसको बरकरार रखना चाहिए।

महोदय, आजादी के कितने वर्षों के बाद वर्ष 1999 में एक मंत्रालय बना। अब मैं अधीर रंजन जी से कहूँगा कि वह खुद से गणना कर लें। वर्ष 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन जब भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब जनजातीय मामलों का मंत्रालय बनता है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था… (व्यवधान) उन्हें भी थोड़ा ध्यानपूर्वक बैठ कर सुनना चाहिए। मैं डार्विन के आविष्कार को गलत नहीं मानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में जनजातीय समाज को न्याय देने के बारे में सोचने के लिए कभी लोगों को फुर्सत नहीं मिली। अभी हम बहुत लंबी किताबें पढ़ रहे थे। अभी माननीय अधीर रंजन जी ने बहुत लंबी कसीदे पढ़े हैं। मैं मानता हूं कि वह सही है। बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी गई हैं, जिसका उल्लेख किया गया कि वर्ष 1931 में वह सूची से बाहर हो गए। मैं मानता हूँ कि कोलोनियल रूल था। वर्ष 1931 में कोलोनियल ब्रिटिश रूल था, उस समय उनकी सूची से नाम हटा दिए गए। वर्ष 1941 में कोलोनियल रूल था, लेकिन वर्ष 1947 में तो देश आजाद हो गया था और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर आप न्याय देना चाहते तो क्या उस समय आप उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं। मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि सबको न्याय मिले। सभी समुदाय जो इसके हकदार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति है और उस इच्छाशक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन, यह मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। आपसे यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1947 में यह देश आजाद हुआ। लंबे कालखंड तक पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक इस देश में कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए और किसके नेतृत्व में यह देश चला?

18.00hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह लेजिस्लेशन आज भी कांप्रिहैंसिव नहीं है। आज भी पीसमिल तरीके से आ रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए।…(व्यवधान) मैं आपको भी गिना सकता हूं। … (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: अधीर रंजन जी, अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप बोल चुके हैं। आप थोड़ा सुन लीजिए।…(व्यवधान) आपको और आपके दल को इसलिए लीडर ऑफ अपोजीशन का स्टेटस नहीं मिला। यह इसलिए नहीं मिला, क्योंकि आप सीमित हो गए हैं। आपकी सोच सीमित हो गई है। आपने एक प्रदेश के बारे में विषय उठाया। पूरे देश में कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं, कितने लोगों की डिमांड्स हैं, अगर आप यह बात कहते तो मानी जाती। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है।…(व्यवधान) मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनके दल की हालत क्या है, मैं बताना चाहता हूं।

"गिरते, उबरते, डूबते धारे से कट गया,

दरिया सिमट के किनारे से कट गया।"

अब इनका किनारा भी नहीं बचा है।

माननीय अध्यक्ष : कागज बिना हाथ लिए बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: इनकी हालत यह है। इन्होंने हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में कहा। बंगाल के हों, झारखंड के हों या ओडिशा के हों, हम चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड की घटवाल जाति का मामला है, वह सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है। सब जानते हैं कि मोडैलिटीज़ क्या हैं। लोकुर कमेटी को किसने बनाया था**?** उसे आपने बनाया था, लेकिन लोकुर कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी आपने नहीं माना। लोकुर कमेटी, 1965 में बनने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन आपने क्यों नहीं किया**?** देश आपसे पूछना चाहता है, देश की जनता और देश के आदिवासी आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपके पास इसका उत्तर है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया। मैंने मांग की है।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन की, क्या उसका आपके पास उत्तर है**?**

अध्यक्ष महोदय, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते, तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन, इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात कही। इन्होंने औपचारिकता निभाई, क्योंकि ये चाहते नहीं कि उनका काम हो। ये चाहते हैं कि उनके नाम पर हम राजनीति करें। …(व्यवधान) जनजाति समुदाय के बारे में बोलते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बना। जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाई कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाई कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है। बाई कैरेक्टर, बाई ट्रेड वे एंथ्रोपॉलिजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। ये सारी चीजें एक परम्परा के साथ बनाई हुई पद्धति है।

इसे उसकी जीवन-पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक मुनाफा लेना चाहते हैं। आपने साठ साल तो ले लिए, अब कितना लीजिएगा? आपकी दुर्गति हो गई। आप किनारे से कट गए। लोगों को आप इस तरह से भुलावे में रखकर कुछ नहीं कर सकते हैं। न्याय अगर देगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार देगी। हमने सारे प्रपोजल्स के बारे में, एक-एक करके लगातार संवाद, संपर्क, रिपोर्ट बनाने का काम किया और हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का मंडुला का मामला है, कोंडा कुमारी का मामला है, वाल्मीकि गोया का मामला है, योबिन कम्युनिटी का मामला है, कार्बी का मामला है, मटोक, मोरन, ताई अहोम का मामला है, अमरी कार्बी का मामला है, टी ट्राइब्स जो वर्षों से वहां रहते हैं, उनका मामला है।

लेकिन आपको इन सारी बातों पर चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। लुलूंग तीवा, थांगल, सारानिया, माली, मल्लाह, निषाद, बिन्द, गंगोटा, नोनिया, खरिया, सौंरा-सौंरा, भुंइया-भुंइया, धनुहार- धनुहार, धनगर के मामले हैं। क्या आप समझते हैं कि बिना रिसर्च के ही हम इसे सदन में लेकर आएं? ऐसी पद्धति नहीं है और यह उनको भी मालूम है। फिर वह क्यों इस तरीके से बातें कहकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि पूरे देश की समस्या का समाधान कैसे होगा, पूरे देश की जनजातीय समाज की समस्या का समाधान कैसे होगा, यह अप्रोच आपका नहीं है, इसी अप्रोच के कारण देश की जनता ने आपको …* बताने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से किसन, नगेशिया, कड़ाकू, भूंइयर-भूंइयर, देवनागरी, कोड़ा, बिरजिया, रजवाड़, सोनझरिया, सोनझरा, पवरा, राठी कोली और राठवा कोली के कई मामले हैं। क्या मैं पूरी सूची आपको पढ़ कर सुनाऊं? पूरे देश के मामले पर यह सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने क्या किया? आपने देश में सिर्फ राजनीति की, आप जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, वर्ष 1957 में कांग्रेस की सरकार ने सभी आदिवासियों को नक्सलाइट बताकर मारने का काम किया। आप इतिहास देख लीजिए, आपने उस समय सारे लोगों को नक्सलाइट बनाने का काम किया। सिद्धार्थ शंकर राय के माध्यम से आपने इस देश में क्या किया? उग्रवादी कहकर सारे लोगों को मारने का काम किया। आपने इमर्जेंसी के नाम से इस देश को कहां धकेलने का काम किया?

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह सब पुराना हो चुका है।

श्री अर्जुन मुंडा: पुरानी बात बोलने से आपको कठिनाई होती है, आपको याद दिलाने से कठिनाई होती है। पुरानी बात कहने से आपको कठिनाई होती है।

यह सदन है, यहां गंभीरता से विचार कीजिए और गंभीरता से विचार करते हुए समाधान का रास्ता ढूंढिए। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से जनजातीय समाज को देखने की कोशिश इस देश के लिए … (व्यवधान) आपको तो लोगों ने …* ही बता दिया। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : तुम्हारा …* क्या है? एक आदमी को …* दिखाता है?

माननीय अध्यक्ष: …** शब्द रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह पार्टी की बात कर रहे हैं, मंत्री की बात नहीं कह रहे हैं, आपके एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, इस देश की जनता की बात कर रहे हैं।

श्री अर्जुन मुंडा: कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश को लूटने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष: औकात शब्द मत बोलिए।

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की क्षमता नहीं है।

तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पायी।

इन्होंने जो बीज बोया है, उसी की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए मित्रो, माननीय सदस्य, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। … (व्यवधान) बड़ा चिढ़ रहे हैं। … (व्यवधान) देश के आदरणीय प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है, उन्होंने कहा था – अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज यह हकीकत यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रही है। जब इस देश में जी-20 की चर्चा चल रही है। देश जी-20 का आयोजन आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक और विकास की राजनीति से अब नए भारत का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को न्याय मिल रहा है। देश की संप्रुभता के मामले में हमेशा कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाई है और आज भी उससे बाज नहीं आ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, देश को संगठित करने का यह स्वर इसी सदन से देश और दुनिया को सुनाने का काम यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। महोदय, आज छत्तीसगढ़ से संबंधित माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं और जिन समुदायों को आज न्याय मिल रहा है, मैं सदन में उनका आभार प्रकट करता हूं। … (व्यवधान) आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के जो मामले हैं, आपने कहा नौ हैं, नौ नहीं, हम उसके आगे जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, लोगों को फिर थोड़ा बुरा लग सकता है, 75 पीवीटीजी यानी फेवरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। इनका शासन 60 साल तक रहा, नौ इसमें से लिस्टेड नहीं थे, ट्राइबल की लिस्ट में ही नहीं हैं, उनको भी न्याय देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो मोडेलिटीज बनी, उसके आधार पर रिपोर्ट सदन में कैसे आए, उसकी कोशिश हो रही है। महोदय, लगातार संवेदनशील सरकार, विकासोन्मुखी सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार होकर नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित या जाए।

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

____

-